

सम्पादक

डॉ० हारून रशीद सिद्दीकी

सहायक

मु० गुफरान नदवी

कार्यालय

मासिक सच्चा राही

मजलिस सहाफत व नशरियात

पो० बॉ० न० 93

नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ

फोन : 0522-2740406

फैक्स : 0522-2741221

E-mail : nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 12/-
वार्षिक	₹ 120/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस. डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें

“सच्चा राही”

पता

सेक्रेटरी, मजलिस सहाफत व नशरियात
नदवतुल उलमा, लखनऊ-226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन
द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से
मुद्रित एवं दफ्तर मजलिस
सहाफत व नशरियात नदवतुल
उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक

लखनऊ

फरवरी, 2013

वर्ष 11

अंक 12

अल्लाह का वली

जो यहाँ ईमान लाया रब से फिर डरता रहा
और गुनाहों से यहाँ वह हर तरह बचता रहा
हुब्बे रब हुब्बे मुहम्मद दिल में यूँ बैठा लिया
हुब्बे गैरुल्लाह को फिर उसमें ना आने दिया
रब का बन्दा खास है वो है वली अल्लाह का
और इताअत में है कामिल वह रसूलुल्लाह का
खौफे रब के मासिवा हर खौफ से महफूज है
फिक्रे उक्बा के सिवा हर हुज्ज से मामून है
निअमते जन्नत की उसका कर रही हैं इन्तिज़ार
खौफ ना वाँ हुज्ज है बस निअमते हैं बेशुमार
निअमतों में आला निअमत रब का वाँ दीदार है
जिसके हुब्बे पाक से यह दिल मेरा सरशार है
रहमते या रब नबी पर उनके आल अस्हाब पर
अहले सुन्नत वल जमाअत के उलुल अलबाब पर

इदारा

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
आम आदत और खर्क आदत	डॉ० हारून रशीद सिद्दीकी	5
जगनायक	हज़रत मौ० सै० मु० राबे हसनी नदवी	7
शैख अब्दुल कादिर जिलीन रह०		11
तीसरा अकीद	मौलाना अब्दुशशकूर फारुकी रह०	13
बन्दों के हकों की अदायगी	मौ० स० हमज़ा हसनी नदवी	18
अस्हाबे रसूल	हज़रत मौ० सै० मु० राबे हसनी नदवी	19
तीन कुव्वतों की ज़रूरत	मौलाना सै० अब्दुल्लाह हसनी नदवी	20
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	25
अमेरीका में एक खातून का	उम्मे सुफियान	28
जन्नत से करीब और जहन्नम से दूर ..	तस्नीम फात्मा	31
याकूब बिन इसहाक	मौलाना सिराजुद्दीन नदवी	32
इस्लाम कमज़ोरों के अधिकारों का	मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी	34
बड़ा दिन	इदारा	39
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ० मुईद अशरफ नदवी	40

कुआन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूर-ए-बकर:

अनुवाद :-

पूछ बनी इस्राईल से, किस कदर इनायत की हमने उनको निशानियाँ खुली हुई, और जो कोई बदल डाले अल्लाह की नेमत बाद उसके पहुंच चुकी हो वह नेमत उसको तो अल्लाह का अजाब सख्त है²⁽²¹¹⁾। मोहित किया है काफिरों को दुनिया की ज़िन्दगी पर और हंसते हैं ईमान वालों को³, और जो परहेज़गार हैं वह उन काफिरों से बालातर होंगे कयामत के दिन, और अल्लाह ही रोज़ी देता है जिसको चाहे बेहिसाब⁴⁽²¹²⁾।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. उससे पहले कहा था कि अल्लाह के खुले आदेश के आद उसका विरोध करना अपने ऊपर अल्लाह का कहर नाज़िल करना है, अब उसी की ताईद (समर्थन) में फरमाते हैं कि खुद बनी इस्राईल ही से पूछो कि हमने उनपर

कितनी आयात व वाजेहात और खुले आदेश दिये, जब उसकी अवहेलना की तो अज़ाब में मुब्तला हुए, ये नहीं कि हमने अब्बल ही उनको अज़ाब दिया हो।

2. अर्थात् ये उसूल है कि जो कोई अल्लाह के आदेशों को बदले और उसके ईनाम और एहसान का इन्कार करे तो फिर उसका अज़ाब सख्त है, आयात के बदलने वाले पर कि दुनिया में मारा जाए और लूटा जाए या ज़लील हो और कयामत को दोज़ख में जाये हमेशा के लिए। नेमत के पहुँच चुकने का ये मतलब कि उसका इल्म हासिल हो जाए या बिला झिझक, हासिल हो सके।

3. अर्थात् काफिर जो अल्लाह के साफ हुक्मों और उसके पैगम्बरों की मुखालिफ़त करते हैं जो ऊपर ज़िक्र किया जा चुका, उसकी वज़ह ये है

कि उनकी नज़रों में दुनिया की खूबी और उसकी मुहब्बत ऐसी समा गई है कि उसके मुकाबले में आखिरत के रंज व राहत को ख्याल ही में नहीं लाते, बल्कि मुसलमान जो फिक्रे आखिरत में डूबा और अल्लाह के हुक्मों की तामील में मशगूल हैं उनको हंसते हैं और ज़लील समझते हैं। तो ऐसे बेवकूफों से अल्लाह के हुक्मों की तामील क्योंकर हो। मुश्रेकीन सरदार हज़रत बिलाल, अम्मार, सुहैब और ग़रीब मुहाजेरीन को देख कर मज़ाक उड़ाते कि इन नादानों ने आखिरत के ख्याल पर दुनिया की तकलीफ़ अपने सर ओढ़ली और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तो देखो कि इन फकीरों की मदद से अरब के सरदारों पर ग़ालिब आना और दुनिया भर की इस्लाह (सुधार) करना चाहते हैं।

शेष पृष्ठ.....04 पर

सच्चा राही फरवरी 2013

प्यारे नबी की प्यारी बातें

सुबह और अस्त्र की नमाज़

—अमतुल्लाह तस्नीम

हज़रत अबू मूसा अश्शरी रज़ि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो आदमी दो ठण्डी नमाज़ें पढ़ेगा वह जन्नत में जाएगा (अर्थात् सुबह और अस्त्र की नमाज़)।

(बुखारी—मुस्लिम)

हज़रत अबू जुहैर उमारह बिन रूवैबह कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, जो आदमी सूरज उगने और डूबने से पहले नमाज़ पढ़ लेगा वह हर्गिज़ दोज़ख में न जाएगा (अर्थात् फज़ और अस्त्र)। (मुस्लिम)

सुबह की नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाह की ज़मानत में है—

हज़रत जुंदुब बिन सुफियान रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जो आदमी सुबह की नमाज़ पढ़ता है वह अल्लाह के ज़िम्मे और उसकी हिफाज़त में हो

जाता है, तो ऐ आदम के बेटे! देख कहीं तुझसे अल्लाह अपनी ज़मानत व हिफाज़त के बारे में पूछताछ न करे। (मुस्लिम)

फरिश्तों की गवाही—

हज़रत अबू हुसैरह रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कुछ फरिश्ते रात को और कुछ दिन को एक दूसरे के बाद उतरते हैं¹ और फज़ व अस्त्र की नमाज़ में जमा होते हैं, फिर जब रात के फरिश्ते आसमान पर जाते हैं तो अल्लाह उनसे कहता है कि तुमने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा? हालाँकि वह ख़ूब जानता है²। फरिश्ते कहते हैं कि जब हम गए तो उनको नमाज़ पढ़ते पाया और आए तो वह नमाज़ ही पढ़ रहे थे। (बुखारी—मुस्लिम)

अस्त्र की नमाज़ छूट जाने का वबाल— हज़रत बुरीदा रज़ि०

कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जिसने अस्त्र की नमाज़ छोड़ दी उसके अमल बर्बाद हो गए। (बुखारी)

1. इससे मालूम होता है कि दोनों वक्त फरिश्ते उतरते हैं और दोनों वक्त का हाल अल्लाह के सामने पेश करते हैं।
2. अर्थात् उसको पूछने की आवश्यकता नहीं वह तो ख़ूब जानता है, मगर वह सिर्फ़ बन्दों का रुतबा ऊँचा करने के लिए पूछता है।



कुर्आन की शिक्षा.....

4. अल्लाह उनके जवाब में कहता है कि ये उनकी जिहालत है कि दुनिया पर ऐसे ग़श है कि वह नहीं जानते कि यही ग़रीब क़यामत के दिन उनसे बुलन्द और आला होंगे और अल्लाह जिसे चाहे दुनिया में बेशुमार रोज़ी दे। अतः जिन ग़रीबों पर ये हंसते थे बनी कुरैज़ा और नुजैर और फारस व रूम की दौलत का मालिक बना दिया।



आम आदत और खर्क आदत (स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक)

—डॉ० हारून रशीद सिद्दीकी

पत्थर जमादात (जड़पदार्थ) में से है जब तक कोई ताकत हरकत न दे वह हरकत नहीं कर सकता, वह बोल नहीं सकता लेकिन अगर वह बोलने लगे, उससे इन्सानी कलाम सुना जाए तो यह बात खर्क आदत (अस्वाभाविक) होगी। आजकल कैसेट के फीतों और मेमोरी कार्ड वगैरह से जो आवाजें सुनी जाती हैं, या फोन या मोबाइल फोन पर दूर दराज़ की आवाजें सुनी जाती हैं यह खर्क आदत (अस्वाभाविक) नहीं, बल्कि आदत के मुताबिक हैं कि इन्सान ने फज़ा में मौजूद लहरों की आदत का इल्म अल्लाह की दी हुई अक्ल से हासिल करके ऐसे आलात तैयार किये जो एक जगह से आवाज़ को दूर दराज़ मक़ाम तक उसी आन पहुंचाते हैं, इसी तरह उसने आवाज़ को कैसेट या मेमोरी कार्ड में महफूज़ कर लेने का इल्म हासिल करके आवाज़ें महफूज़

कीं और उनको जब चाहें सुन लेने का तरीका भी ईजाद कर लिया, यह सारी हैरत अंगेज़ बातें खर्क आदत नहीं आदत के मुताबिक हैं, इनके ईजाद करने वालों का भी यही कहना है कि यह खर्क आदत नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी दूर दराज़ मक़ाम के किसी हादिसे को देख ले और किसी आले (यंत्र) के बिना उस तक अपनी आवाज़ पहुंचा कर उसको हिदायत (निर्देश) दे तो यह बात खर्क आदत की है। दरख़्त की आदत है कि वह बोलता नहीं अगर वह बोलने लगे तो यह खर्क आदत बात है।

इन्सानी अक्ल मानती है कि कोई बात खर्क आदत नहीं हो सकती लेकिन जब वह किसी से खर्क आदत बात अपनी आँखों से देखती और कानों से सुनती है तो हैरान रह जाती है और समझने लगती है कि जिस शख्स से खर्क आदत बात

जाहिर हुई है जरूर ही उसके पीछे कोई ग़ैबी ताकत (परोक्ष शक्ति) है और फिर वह उसके आगे झुक जाती है उसकी बताई ग़ैब की बातों को मानने लगती है।

यह खर्क आदत बातें जब अल्लाह के नबियों से जाहिर होती हैं तो वह मुअजिज़ा (मोजिज़ा) कहलाती हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, आखिरत (मरने के बाद की ज़िन्दगी) के बारे में बताते हैं जो इन्सानी आँखों से ओझल है, ज़न्नत और उसकी नेअमतों के बारे में बताते हैं जो हमारी आँखों से ओझल है, जहन्नम और उसकी आग और उसके अज़ाब (दण्ड) के बारे में बताते हैं, यह सबका सब हमारी आँखों से ओझल है, कियामत के बारे में बताते हैं जो इन्सानी आँखों से ओझल और इन्सानी अक्ल से बाहर है। जो नेक रूहें हैं वह तो सच्चा राही फरवरी 2013

सब आसानी से मान लेती हैं लेकिन बहुत सी इन्सानि अक्लें ज़रा हिचकिचाती हैं, मगर जब देखती हैं कि यह अंधों को बिना दवा के हाथ फेर कर देखने वाला बना देता है, कोढ़ी को अच्छा कर देता है जैसा कि हज़रत ईसा अ० ने किया। लाठी रखता है तो वह अज़दहा बन जाती है और पकड़ते ही लाठी बन जाती है जैसा कि हज़रत मूसा अ० से जाहिर हुआ। पत्थर सलाम करता है, कंकरियाँ कल्मा पढ़ती हैं, लकड़ी रोती है, साढ़े तीन सेर आटे की रोटी से एक हज़ार लोग पेट भर कर खाते हैं जैसा कि आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जाहिर हुआ, तो वह अक्लें जो ग़ैब की बातें मानने में हिचकिचा रही थीं वह मानने लगती हैं और उनके ईमान में मज़बूती आ जाती है।

लेकिन यहीं एक दूसरी चीज़ सामने आती है वह यह कि जिन इन्सानों ने आखिरत का इन्कार किया था उन मुनकिरों ने कहा कि यह तो

जादू है। इससे यह मालूम हुआ कि दुनिया जादू के ज़रिये खर्क आदत बात होने से वाकिफ़ और काइल थी, लेकिन दुनिया ने यह भी देखा कि जब पैगम्बर के मुअजिज़ें और जादूगरों के जादू का मुकाबला हुआ तो जादूगरों का जादू गाइब हो गया, अस्ल में जादू के पीछे शैतानी ताक़त काम कर रही थी और मुअजिज़ों के पीछे अल्लाह की ग़ैबी ताक़त थी, जब अल्लाह की ग़ैबी ताक़त का हक़ आया तो शैतान की बातिल ताक़त भाग खड़ी हुई जैसा कि फिरऔन और उसके जादूगरों का हज़रत मूसा अ० के मुकाबले के वक्त हुआ।

हम अल्लाह तआला से हिदायत मांगते हैं अल्लाह जिसे हिदायत न दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, नमरुद और उसकी कौम ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अ० आग में न जले लेकिन हज़रत लूत अ० के अलावा कोई ईमान न लाया। पता नहीं उस वक्त हज़रत सारा साथ थीं या नहीं वह भी ईमान वालों में से हैं। फिरऔन और

उसकी कौम ने देखा कि जादूगर नाकाम रहे लेकिन फिरऔन ने ईमान लाने के बजाए ईमान लाने वाले जादूगरों को शहीद करवा दिया, आखिरकार वह और उसकी फौज समन्दर में डूब गई, मरते वक्त फिरऔन ने कहा कि मैं ईमान लाया मगर उसका ईमान कुबूल न हुआ जैसा कि कुर्आन मजीद से जाहिर है, इसी तरह हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लोगों ने ना जाने कितने खुले हुए मुअजिज़े देखे, मगर अबू जेहल और अबूलहब ईमान न ला सके।

सच है जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिस को अल्लाह हिदायत न दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। खर्क आदत बातें अल्लाह के वलियों से भी जाहिर हुई हैं और होती रहती हैं। जो लोग अल्लाह के नबी की मुकम्मल इताअत करते हैं और तकवे की जिन्दगी गुज़ारते हैं वह अल्लाह के वली कहलाते हैं, कभी अल्लाह तआला

शेष पृष्ठ..... 10 पर

सच्चा राही फरवरी 2013

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—अनु० मुहम्मद गुफ़रान नदवी

हमराउल असद-

ग़ज़वे उहद में मुसलमानों का नुकसान और मुसीबत तो ज़रूर पेश आई लेकिन कुफ़ार को मरऊब (भयभीत) रखने के लिए हमराउल असद तक कुरैश का पीछा करने में हूज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ ले गये, लेकिन मुकाबले की नौबत नहीं आई।

उहद के बाद-

ग़ज़व-ए-उहद के बाद कई जगहों पर दुश्मनों की तैयारी और हमले की खबर मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों की जमाअत खाना की, या खुद तशरीफ ले गये, या सिर्फ मुसलमानों का जत्था किसी सहाबी की इमारत में भेजा।

सबसे पहले पहली मुहर्रम सन् 4 हिजरी में तलहा और सलमा बिन खुवैलद ने अपने कबीले को जो फ़ैद के पहाड़ी इलाके "कुत्न" में रहता था मदीना पर हमला करने के लिए आमदा किया,

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खबर मिली तो अबू सलमा रज़ि० की सरकारदगी में 150 आदमियों को खाना किया लेकिन खबर मिलने पर यह दुश्मन भाग गये।

इसके बाद सुफियान बिन खालिद के हमले की तैयारी की इत्तला मिली उसके मुकाबले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अब्दुल्ला बिन उनैस की सरकारदगी में एक सरिया भेजा, उन्होंने जा के सरकूबी की और उनका दमन किया।

रज़ीअ की घटना-

कबीला अज़ल व कारा के कुछ लोग आकर मुसलमान हुए और कहा कि हमारे साथ हमको हमारी तालीम व तरबियत के लिए कुछ लोगों का इन्तिज़ाम कर दीजिये जो हमारे यहां रहें और हमको तालीम दें और इस्लाम के अकाएदो एहकाम सिखाएं, आप

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दस लोगों को उनके साथ कर दिया लेकिन यह उन लोगों की साज़िश थी, उन लोगों ने उन मुअल्लिमीन (तालीम देने वालों) को मदीने से निकल कर कुछ फासले पर मक़ामे रज़ीअ में पकड़ कर कैद कर लिया, और तीन को उनके कैद करने वालों ने बेच दिया, उनमें से हज़रत खुबैब रज़ि० और ज़ैद बिन दसना को मक्के में ले जाकर बेच दिया और उनको बाकाएदा शहीद कर दिया गया। इस मौके पर हज़रत खुबैब ने जिस इत्मीनान और यकीन के साथ शहादत पाई वह तारीख में आबेज़र (सोने के पानी) से लिखने के काबिल है।

हज़रत खुबैब और ज़ैद बिन दसना रज़ि० की शहादत-

हज़रत खुबैब और ज़ैद बिन दसना रज़ि० को लोगों ने कुरैश के हाथ जब फरोख्त

करने के लिए पेश किया तो खुबैब रजि० को हुजैर बिन अबी उहाब ने खरीद लिया ताकि अपने बाप उहाब के बदले में कत्ल कर सके, जैद बिन दसना को सफवान बिन उमय्या ने अपने बाप उमय्या बिन खलफ के बदले के लिए खरीदा। जैद रजि० को हरम से बाहर कत्ल करने के लिए ले जाया गया तो उस वक्त कुरैश के बहुत से लोग जमा थे, जिनमें अबु सुफियान भी थे, उन्होंने हजरत जैद से कहा जैद मैं तुमसे कसम दिला कर पूछता हूँ कि क्या तुम यह पसन्द करोगे कि तुम आराम से अपने घर वालों में हो और तुम्हारी जगह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हों? उन्होंने यह जवाब दिया कि मुझे तो यह भी गवारा नहीं कि मैं अपने घर पर आराम से रहूँ और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक कांटा भी चुमे, अब अबू सुफियान ने इस पर कहा कि मैंने किसी को किसी से इतनी मुहब्बत करते नहीं देखा जितनी मुहब्बत मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम के साथी करते हैं। इसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। जब यह लोग हजरत खुबैब रजि० को सूली देने के लिए लाए तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई हरज न हो तो मुझे दो रकअत नमाज पढ़ लेने की इजाजत दे दो उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ लो, उन्होंने दो रकअत नमाज पूरे इत्मीनान और आदाब के साथ पढ़ी फिर उनकी तरफ मुतवज्जेह हो कर कहा कि अगर मुझे यह ख्याल न होता कि तुम लोग इसको डर पर महमूल (अनुमानित) करोगे तो मैं और नमाज पढ़ता, इसके बाद उन्होंने यह अशआर पढ़े जिसका अर्थ यह है:

“जब मैं इस्लाम के लिए कत्ल किया जा रहा हूँ तो मुझको इस बात की परवाह नहीं कि अल्लाह की राह में किस पहलू पर गिर कर जान दूँगा, यह जो कुछ है खालिस अल्लाह के लिए है, अगर वह चाहेगा तो इस पारा पारा जिस्म पर बरकत नाज़िल करेगा” यह अशआर पढ़ते हुए शहीद हुए।

बीरे मऊना-

फिर सन् 4 हिजरी में बीरे मऊना का वाकिया पेश आया इसमें भी नज्द के एक सरदार अबूबरा किलाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुछ असहाब को नज्द भेजने के लिए कहा था कि वह वहां इस्लाम की दावत दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मंजूर फरमाया और एक बड़ी तादाद में सहाबा कराम (जिनकी तादाद 40 से 70 बताई जाती है) को रवाना किया, उन लोगों को बीरे मऊना के मकाम पर धोखा देकर शहीद कर दिया गया, यह बड़ा ही दर्दनाक व अलमन्नाक (दुखा दायी) वाकिया था, जिसको बहुत महसूस किया गया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कोई फौजी कार्यवाई नहीं की।

हराम बिन मलहान की शहादत-

इसी वाकिए में हराम बिन

1. सीरत इब्ने हिशाम 2/169-176, सही बुखारी, किताबुल मगाजी, अलबिदाया वन-निहाया 4/62-69

2. सीरत इब्ने हिशाम 2/169-176, सही बुखारी, किताबुल मगाजी, अलबिदाया वन-निहाया 4/62-69

मलहान भी शहीद हुए, उनको जब्बार बिन सलमा ने कत्ल किया, हराम बिन मलहान ने इन्तिकाल के वक्त जो अल्फाज कहे वही उनके इस्लाम लाने का सबब बन गये, जब्बार खुद बयान करते हैं कि मुझे जिस चीज ने इस्लाम की तरफ खींचा वह यह वाकिया है कि मैंने उनके एक आदमी के दोनों कंधों के बीच एक नेजा (भाला) मारा, मैंने देखा वह सीने के पार हो गया उसी वक्त उनके मुंह से अल्फाज निकले "फुज्तो व रब्बिलकाबा" काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया, मैंने अपने दिल में हैरत से कहा कि कैसे कामयाबी? क्या मैंने उनको कत्ल नहीं किया, बाद में मैंने उनके अल्फाज की तहकीक की तो लोगों ने बताया कि उनका मतलब शहादत था, मैंने कहा खुदा की कसम वह कामयाब रहे। यह जुमला उनके इस्लाम लाने का सबब बना।

जातुरिकाअ-

सन् 4 हिजरी में जातुरिकाअ का गजवा पेश आया इसमें आप सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम तशरीफ ले गये, बनू गत्फान से मुकाबला था, दोनों पार्टियाँ एक दूसरे से करीब हुईं लेकिन लड़ाई नहीं हुई, इस मुहिम में गुर्बत की वजह से पैर में जूते नहीं थे, चीथड़े बांधने पड़े थे और चीथड़ों को अरबी में "अर्रिकाअ" कहते हैं, इसकी वजह से इसको जातुरिकाअ कहते हैं²।

बनू नजीर का मामला-

सन् 4 हिजरी का जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीने के मुजाफात में आबाद कबीला बनी नजीर के पास तशरीफ ले गये, ये यहूदियों से किये गये मुआहिदे (समझौते) के तहत भी आते थे, वहां जा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे बनी आमिर के दो मकतूलों की दियत में मदद चाही, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक दीवार के नीचे बिठा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को धोखे में रखते हुए शहीद

कर देने की साजिश की, जिसकी तद्बीर यह की कि इब्ने जहाश मलऊन दीवार के ऊपर जा कर एक भारी पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर गिरा दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी का खात्मा कर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ उस मौके पर कई हज़राते सहाबा मौजूद थे, जिनमें अबूबक्र सिद्दीक, हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ि० अनहुम भी थे और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वहां जा बैठने के बाद अल्लाह तआला की तरफ से इस शरारत की इत्तिला आपको "वही" के ज़रिये हो गई, यह मालूम होते ही आप वहां से फौरन उठ आये और अल्लाह की हिफाज़त में मदीना वापस आ गये और बनू नजीर को उनकी बद अहदी और उस जुर्म की ग़द सज़ा तय फरमाई कि वह मदीने से निकल जायें वरना उनको फिर ताक़त के ज़रिये सज़ा दी जायेगी, वह लोग सूरते हाल की संगीनी महसूस

1. सीरत इब्ने हिशाम 2/169-176, सही बुख़ारी...किताबुल मगाज़ी, अलबिदाया वन-निहाया 4/62-69

2. तारीख अरब कबलल इस्लाम 4/7

करते हुए मामूली रुकावट और सोच विचार के बाद इस पर राजी हो गये कि जिस कदर माल व असबाब ऊँटों में ले जा सकें ले जायें और मदीने से बाहर निकल जायें। चुनांचे वह घरों को छोड़-छोड़ कर मदीने से निकल गये, उनमें से कुछ लोग खैबर में जा बसे, कुछ लोग शाम चले गये और मुसलमानों को अपने शहर के अन्दर ही मक़्र व फरेब, साजिश और मुनाफिक़त के कायम एक बहुत बड़े अड्डे से नजात मिली और ताक़त के इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई।



आम आदत और

उनकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए उनसे भी ख़र्क़ आदत बातें जाहिर करा देता है, अल्लाह के नबी की पैरवी करने वालों से जो ख़र्क़ आदत बात जाहिर होती है उसे करामत कहते हैं, मुअ़जिज़ा नबी की पहचान के लिए होता है मगर करामत वली की पहचान नहीं है सिर्फ़ वली की इज़्ज़त अफ़जाई के लिए होती है।

यह भी हो सकता है कि एक शख्स अल्लाह का कामिल वली हो और उससे एक करामत भी न जाहिर हो, वली की पहचान उस का तक्वा है, अल्लाह के नबी की मुकम्मल इताअत है। यूं तो हर ईमान वाला अल्लाह का वली है लेकिन यहाँ मैंने जिस वली का ज़िक्र किया है उससे वलायते खास्सा वाला वली मुराद है। कुछ नई रौशननी वाले कहते हैं कि आप लोग जितनी करामतें बयान करते हैं सब माजी (भूत काल) की बयान करते हैं, आज कल किसी वली की वाज़ेह (स्पष्ट) करामत देखने को नहीं मिलती, इसका एक जवाब तो वह है जो ऊपर आ चुका कि वली से करामत का जाहिर होना ज़रूरी नहीं, दूसरा जवाब यह है कि बिला शक़ साहिबे कश्फ़ व करामत वाले औलियाअल्लाह मफ़कूद (विलुप्त) हैं। जो कहीं हैं भी और उनसे कोई करामत जाहिर भी होती है तो वह इसको ना पसन्द करते हैं कि उसे मीडिया में दिया जाए।

फिर आजकल मुआशरती

निजाम इस तरह का हो गया है कि खानकाह में बैठने वाला भी मशकूक गिज़ाओं (संदेह जनक आहार) से बच नहीं पाता है, यह मक्खन, घी, पनीर, दूध, तोश, ब्रेड, बन्द, दालमोट, यह बाज़ारी खाने पीने की चीज़ें कौन तहकीक़ करता है कि यह कैसे और किस चीज़ से तैयार की गई हैं, ऐसी सूरत में दिल की सफ़ाई कहाँ? दिल की सफ़ाई नहीं तो कश्फ़ कहाँ? जब खाने पीने में तक्वा नहीं, जब रहन सहन में तक्वा नहीं तो करामत का जुहूर किससे हो। अब दुनिया में न शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी हैं न मुईनुद्दीन चिश्ती न शैख़ सहर वर्दी न शैख़ा अहमद सरहिन्दी। अल्लाह तआला तमाम औलियाअल्लाह की क़ब्रों को नूर से मुनव्वर करे और इनके दरजात बुलन्द फरमाए उन पर रहमत का नुज़ूल हो और तमाम ईमान वालों की मग़फ़िरत फ़रमाए व सल्लल्लाहु अलननबीइल करीम व अला आलिही व असहाबिही अजमईन!



शैख अब्दुल कादिर जीलानी रह0

सय्यदिना अब्दुल कादिर जीलानी रह0 की पैदाइश गीलान (ईरान) में 470 हिजरी (1077 ई0) में हुई। आपका नसब (वंश) दस वास्तों से सय्यदिना इमाम हसन रज़ि0 पर पहुँचता है, बग़दाद आकर बड़ी लगन व हिम्मत के साथ आपने तअलीम हासिल की और बड़े ऊँचे उत्सादों के आप शागिर्द बने, जाहिरी व बातिनी तकमील (पूर्ति) के बाद इस्लाह व इरशाद की ओर मुतवज्जेह हुए, मसनदे दर्स और मसनदे इरशाद (शिक्षण तथा प्रशिक्षण) को बयक वक़्त जीनत दी, अपने उस्ताद शेख़ मख़रमी के मदरसे में तदरीस और वअज़ का सिलसिला शुरू किया, बहुत जल्द मदरसे की तौसीअ (विस्तार) की ज़रूरत पेश आ गई, मुख़्लिसीन ने इमारत में इज़ाफ़ा करके उसको आपकी मजालिस के काबिल बना दिया, लोगों का इस क़दर हुजूम हुआ कि मदरसे में तिल रखने की जगह न रही,

सारा बग़दाद आपके मवाइज़ पर टूट पड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी वजाहत व कबूलियत अता फरमाई जो बड़े-बड़े बादशाहों को नसीब नहीं। बादशाह और वज़रा आपकी मजलिसों में नयाज़ मन्दाना (विनम्रता) हाज़िर होते और अदब से बैठ जाते। हज़रत शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी रह0 ने बग़दाद में 73 साल गुज़ारे और अब्बासी खुलफ़ा में से पाँच उनकी नज़रों के सामने यक़ेबाद दीगरे मसनदे ख़िलाफ़त पर बैठे, जिस वक़्त वह बग़दाद में रौनक अफ़रोज़ हुए उस वक़्त ख़ालीफ़ा मुसतज़हर बिल्लाह अबुल अब्बास का ज़माना था।

शैख़ का यह ज़माना अहम तारीख़ी वाकिआत से लबरेज़ है। सलजूकी सलातीन और अब्बासी खुलफ़ा की बाहमी कश्मक़श उस ज़माने में पूरे उरुज़ पर थी।

शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी रह0 का मादी वजूद

(मौलिक अस्तित्व) चाहे इन वाकिआत से अलाहिदा और दूर रहा हो लेकिन अपने शुऊर (विवेक) और एहसास के साथ वह इसी आग में जल रहे थे, और इसी सोज़ दरुँ ने उनको पूरी हिम्मत व ताक़त और एख़लास के साथ वअज़ व इरशाद, दअवत व तरबियत, इस्लाहे नुफ़ूस और तज़किय-ए-कुलूब की तरफ़ मुतवज्जेह किया और उन्होंने निफ़ाक़ और हुब्बे दुनिया की तहकीर व तज़लील, ईमानी शुऊर के ज़िन्दा करने और अकीद-ए-आख़िरत के याद दिलाने और इस सराए फ़ानी की बेसिबाती के मुकाबिले में उस हयाते जावदनी की अहमियत, अख़लाक़ को संवारने, तौहीदे ख़ालिस और एख़लासे कामिल की दअवत पर सारा ज़ोर दिया।

हज़रत शैख़ के वअज़ दिलों पर बिजली का असर करते थे और वह तासीर आज भी आपके कलाम में मौजूद है।

शैख अब्दुल कादिर फरमाते हैं:-

“सारी मखलूक आजिज है, न कोई तुझको नफा पहुँचा संकता है, न नुकसान, बस हक तआला उसको उनके हाथों करा देता है, उसी का फेल तेरे अन्दर और मखलूक के अन्दर तसरुफ़ फरमाता है, जो कुछ तेरे लिए मुफीद है या मुजिर है, उसके मुतअल्लिक अल्लाह के इल्म में कलम चल चुका है, उसके खिलाफ़ नहीं हो सकता, जो मुवहहिद (एकेश्वरवादी) और नेकोकार हैं, वह बाकी मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत हैं, बाज उनमें से ऐसे हैं जो जाहिर व बातिन दोनों एतिबार से दुनिया से बरहना हैं, अगरचि दौलत मन्द हैं, मगर हक तआला उनके अन्दरून पर दुनिया का कोई असर नहीं छोड़ता, यही कुलूब (दिल) हैं जो साफ़ हैं, जो शख्स इस पर कादिर (शक्तिमान) हुआ, उसको मखलूकात (सृष्टि) की बादशाहत मिल गई, वही बहादुर पहलवान है, बहादुर वही है जिसने अपने दिल को गैरुल्लाह से पाक बनाया और दिल पर

तौहीद की तलवार और शरीअत की शमशीर लेकर खड़ा हो गया कि मखलूकात में से किसी को भी उसमें दाखिल नहीं होने देता, अपने दिल को मुकल्लिबुल कुलूब (अल्लाह) से वाबस्ता करता है, शरीअत उसके जाहिर को तहजीब सिखाती है और तौहीद व मअरिफ़त बातिन को मुहज्जब बनाती है”।

दूसरी जगह बातिल मअबूदों के सिलसिले में शैख फरमाते हैं:-

“आज तू एतिमाद (भरोसा) कर रहा है अपने नफ़्स पर, मखलूक पर, अपने दीनारों पर, अपने दिरहमों पर, अपनी खरीद फ़रोख़्त पर, और अपने शहर के हाकिम पर, हर चीज़ कि जिस पर तू एतिमाद करे, वह तेरा मअबूद है और हर वह शख्स जिससे तू खौफ़ करे या तवक्को रखे, वह तेरा मअबूद है, और हर वह शख्स जिस पर नफ़ा व नुक़सान के मुतअल्लिक तेरी नज़र पड़े वह तेरा मअबूद है”। इस बातिल मअबूदों से दूर रहना और तौहीदे खालिस इख़्तियार करना फर्ज़ है।

हज़रत शैख का वजूद इस मादियत जदह ज़माने में इस्लाम का एक ज़िन्दा मोजिज़ा था और एक बड़ी ताईदे इलाही, आप की ज़ात, आपके कमालात, आपकी तासीर, अल्लाह तआला के यहाँ आपकी मक़बूलियत के आसार, अल्लाह की मखलूक में आपकी महबूबत और अकीदत सब इस्लाम की सच्चाई की दलील और उसकी ज़िन्दगी का सुबूत था और इस हकीक़त (वास्तविकता) का इजहार (प्रकट करना) था कि इस्लाम में सच्ची रूहानियत, तहजीबे नफ़्स और अल्लाह के साथ तअल्लुक पैदा करने की सबसे बड़ी सलाहियत है।

एक लम्बी मुद्दत तक दुनिया को अपने कमालाते जाहिरी व बातिनी से फ़ाइदा पहुँचा कर और आलमे इस्लाम में रूहानियत और रुजूअ इलल्लाह का आलमगीर जौक़ पैदा करके सन् 561 हिजरी (1168 ई0) में 90 साल की उम्र में वफ़ात पाई।

शेष पृष्ठ.....30 पर

सच्चा राही फरवरी 2013

तीसरा अकीदा-अकीद-ए-क़यामत

—मौलाना अब्दुशकूर फारुकी रह0

—हिन्दी लिपि: फौज़िया सिद्दीका फ़ाज़िला

हमारा ईमान है कि एक ऐसा वक़्त आने वाला है कि तमाम आलम फ़ना हो जाएगा, जिन्न और इन्स और फ़रिश्ते, आसमान व ज़मीन और अर्श व कुर्सी, जन्नत व दोज़ख़ सब फ़ना हो जाएंगे, सिर्फ़ एक ज़ाते पाक अल्लाह तआला की मौसूफ़ ब सिफाते कमाल बाकी रहेगी, इसके बाद फिर सब ज़िन्दा किये जाएंगे, हिसाब व किताब होगा जज़ा व सज़ा होगी, उसी को क़यामत और रोज़े जज़ा कहते हैं। अकीद-ए-तनासुख़ जिस को आवागमन कहते हैं बिल्कुल बातिल ख़याल है, एक रूह जो जिस्म से निकल गई फिर दोबारा दूसरे जिस्म में नहीं भेजी जाती।

क़यामत के मुतअल्लिक बारह अकीदे हैं जो निहायत ज़रूरी हैं वह हस्ब ज़ेल हैं:—

1. आलमे आख़िरत बरहक़ है यानी इस दुनिया के अलावा एक आलम और है, जो लोग मरते हैं वह इस आलम से

उस आलम में जाते हैं।

2. मरने के बाद क़ब्र में या जिस हालत में इन्सान हो खुदा के दो फ़रिश्ते मुन्कर-नकीर आते हैं और मुर्दा से सवाल करते हैं। दीन पूछते हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुतअल्लिक दरयाफ़्त करते हैं। नेक़ूकारों ईमान वालों के लिए क़ब्र बहिश्त का एक बाग़ बन जाती है और काफ़िरों और गुनहगारों के लिए दोज़ख़ का गड्ढा बन जाती है।

जग़त-ए-क़ब्र (यानी क़ब्र की तन्गी और घबराहट) कभी नेक बन्दों को भी होता है।

3. क़यामत के आने का वक़्त किसी पैगम्बर ने नहीं बताया अल्बत्ता उसकी निशानियां बताई हैं और सबसे ज़्यादा तफ़सील व तौजीह के साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान फरमाई है वह सब अलामतें बरहक़ हैं।

इन अलामतों में से बड़ी अलामत दज्जाल का निकलना, इमाम महदी का ज़ाहिर होना और हज़रत ईसा अ0 का आसमान से उतरना है, और याजूज-माजूज का निकलना और आफ़ताब का मगरिब से नमूदार होना, दाब्बतुल अर्ज का निकलना वगैरा-वगैरा।

अहले सुन्नत वल जमाअत का मज़हब है कि इमाम महदी अभी पैदा नहीं हुए, जो लोग कहते हैं कि वह पैदा हो चुके हैं और किसी ग़ार में पोशीदा हैं यह बिल्कुल ग़लत है और हज़रत ईसा अ0 के मुतअल्लिक हमारा यह मज़हब है कि वह ज़िन्दा आसमान पर उठा लिये गये हैं और करीब क़यामत फिर उतारे जायेंगे और शरीअते मुहम्मदिया के मुताबिक़ हुकूमत करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त भी मरतब-ए-नुबूवत पर होंगे उनका नबी होना आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खातमुन्नबीय्यीन

होने के खिलाफ नहीं क्योंकि उनको नुबूव्वत आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले की मिली हुई है न कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद की मिली हुई है। याजूज-माजूज इन्सानों की एक कौम का नाम है, यह कौम दो पहाड़ों के दरमियान में बन्द है, कयामत के करीब जाहिर हो कर कत्ल व ग़ारत से दुनिया को तबाह व बरबाद करदेगी, कोई उनका मुकाबला न कर सकेगा बिलआखिर आसमानी बला से वह हलाक हो जायेगी।

दाब्बतुल अर्ज एक अजीबुल खिल्कत जानवर है जो आफ़ताब के मगरिब से तूलूअ होने के दूसरे दिन मक्का के पहाड़ सफ़ा से बरामद होगा और लोगों से इन्सानी ज़बानों में कलाम करेगा।

4. अलामते कयामत के पाये जाने के बाद हज़रत इस्राफील अ० सूर फूकेंगे सूर की पहली आवाज़ में तमाम आलम फ़ना हो जायेगा और दूसरी आवाज़ में तमाम अगले

और पिछले सब ज़िन्दा हो कर ज़मीन के ऊपर आ जायेंगे और हर चीज़ मौजूद हो जायेगी फिर सब लोग मैदाने हथ में जमा किये जाएंगे।

5. नेकी व बदी का हिसाब होगा। हर इन्सान ने अपनी तमाम उम्र में जितने काम किये सब किरामन कातिबीन फरिश्तों ने लिख लिये, वह आमाल नामे महफूज़ हैं, उस दिन नेक लोगों के आमाल नामे उनके दाहिने हाथ में और बदों के आमाल उनके बाएं हाथ में दिये जाएंगे।

6. आमाल के तौलने के लिए एक तराजू कायम की जाएगी उसमें नेकी-बदी का वज़न किया जायेगा, यह तराजू हकीकतन तराजू होगी मगर दुनिया की तराजूओं के मानिन्द नहीं, जिनकी नेकी का पलड़ा भारी होगा वह बहिश्त में भेजे जाएंगे और जिन लोगों की बदियों का पल्ला भारी होगा वह दोज़ख में डाले जाएंगे।

7. पुलेसिरात बरहक है यानी दोज़ख के ऊपर एक

पुलेसिरात बनाया जायेगा जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, हिसाब व किताब के बाद सब लोगों को उस पुल से गुज़रना होगा, नेक लोग अपने-अपने आमाल के मुताबिक इस पुल से तेज़ी के साथ निकल जायेंगे और बुरे लोग अपने गुनाहों के मुवाफिक कोई ज़ख्मी हो जायेगा कोई कट कर दोज़ख में गिर जायेगा।

8. बहिश्त और दोज़ख बरहक हैं, वह अब भी मौजूद हैं बहिश्त में आला दरजा के मकानात, उम्दा-उम्दा दूध और शहद और नफीस पाकीज़ा शराब और नफीस पानी की नहरें और हर किस्म की आला से आला नेमतें हैं। दोज़ख में आग का अज़ाब और तरह-तरह की तकलीफें हैं। काफ़िरों को हमेशा हमेशा दोज़ख में रहना होगा कभी उनको नजात न मिलेगी और कोई गुनहगार मोमिन अगर दोज़ख में डाला जायेगा तो चन्द रोज़ के लिए अपनी सज़ा भुगतने के बाद और बाज़ लोग उससे कबूल शफ़ाअत से

या महज खुदा की रहमत से नज़ात पायेंगे। लिहाजा जन्नत में जाने के बाद जन्नती कभी वहां से निकाले नहीं जायेंगे। हमेशा—हमेशा जन्नत में रहेंगे।

9. बहिश्त और दोज़ख के दर्मियान में एक मुकाम आराफ़ है, वहां के लोग जन्नतियों और दोज़खियों दोनों को देखेंगे, उनसे कलाम करेंगे।

10. हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को क़यामत के दिन एक हौज़ अता होगा जिसका नाम हौज़े कौसर है। ईमान वालों को इस हौज़ का पानी आप पिलायेंगे।

11. हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क़यामत के दिन गुनहगारों की शिफ़ाअत करेंगे और आपकी शिफ़ाअत कुबूल की जायेगी। उस वक़्त आपका रुतब—ए—आली सब अगलों—पिछलों पर ज़ाहिर होगा, हज़रत आदम अ० से लेकर हज़रत ईसा अ० तक जितने खुदा के पैग़म्बर हुए अब्बलन उनमें से कोई भी

शिफ़ाअत की हिम्मत न करेगा, मगर आपकी शिफ़ाअत के बाद फिर और अम्बिया अ० भी शिफ़ाअत फरमायेंगे, आपकी उम्मत के उलमा व शुहदा भी शिफ़ाअत करेंगे।

रोज़े क़यामत से पहले आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बाज़ लोगों को क़ब्र में शिफ़ाअत करके अज़ाबे इलाही से बचा लेना भी साबित है और क़यामत के दिन आपकी शिफ़ाअत तीन किस्म की होगी।

1. बाज़ लोगों को दोज़ख में जाने से बचाने के लिए।

2. बाज़ लोगों को दोज़ख से रिहाई दिलाने के लिए।

3. बाज़ के मदारिज व मरातिब को बढ़ाने के लिए।

12. बहिश्त में सब से बड़ी नेअमत खुदा का दीदार होगा— जन्नती लोग अल्लाह तआला को बे हिजाब व बे नकाब देखेंगे, जिस तरह दुनिया में चौदहवीं रात के चाँद को देखते हैं जब कि आसमान गरदो गुबार और अब्र व बाद से बिल्कुल साफ़ हो।

या अल्लाह! अपने फज़लो करम से मरने के वक़्त हमारी मदद फ़रमाना, दुनिया से ईमान के साथ उठाना और क़ब्र में हमारी मदद फ़रमाना। उस तनहाई व बेकसी में सिवा तेरे कोई काम आने वाला नहीं और क़यामत के दिन हमारी मदद फ़रमाना, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिफ़ाअत से बहिश्त में दाखिल करके अपने दीदार से मुशरफ़ फ़रमाना आमीन! बिन्नबिथिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।

मुतफ़रिकात

1. औलिया अल्लाह की करामतें हक़ हैं— खर्क आदत अगर नबी से ज़ाहिर हो तो मोजिज़ा कहलाती है और नबी के पीरों से अगर ज़ाहिर हों तो करामत कही जाती है।

विलायते इलाही की दो किस्में हैं—

एक विलायते आम्मा जो तमाम अहले ईमान को हासिल है। दूसरी विलायते खास्सा जो सिर्फ़ औलिया अल्लाह को हासिल है, जो अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात

की मारिफ़त से मुमताज़ और इत्तिबा-ए-शरीअत की दौलत से सरफ़राज़ हों।

2. रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाब-ए-किराम रज़ि० तमाम औलिया अल्लाह से अफ़ज़ल हैं।

3. जिन्दा ईमान वालों की दुआ और ईसाले सवाब से मुर्दा मोमिन को नफ़अ पहुंचता है।

माली इबादत का सवाब पहुंचाने में तो तमाम अहले हक़ का इत्तिफ़ाक़ है, कोई शख्स सदका दे कर या अल्लाह की रज़ामन्दी के लिए किसी तरीक़े से अपना माल ख़र्च करके खुदा से दुआ करे कि या अल्लाह इसका सवाब फ़लां को पहुंचा दे तो बिलइत्तिफ़ाक़ सबके नज़दीक़ उसका सवाब पहुंच जाता है, लेकिन बदनी इबादत का सवाब पहुंचने में अलबत्ता इख़्तिलाफ़ है। हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रह० इस अमर के काएल हैं कि माली इबादत की तरह बदनी इबादत का भी सवाब पहुंचता है।

4. हर मुसलमान के पीछे ख़्वाह वह फ़ासिक़ हो या मुत्तकी नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, हां जिन लोगों का फ़िस्क़ या बिदअत हद्दे कुफ़ तक पहुंच जाये जैसे रवाफ़िज़ बसबब अकीदये तहरीफ़े कुर्आन के या मिर्जाई बसबब इनकारे ख़त्मे नुबूव्वत के इस हद को पहुंच गये हैं, उनके पीछे अलबत्ता नमाज़ दुरुस्त नहीं।

5. हम अहले किब्ला को काफ़िर नहीं कहते। अहले किब्ला से मुराद वह लोग हैं जो हमारे किब्ले की मिल्लत यानी दीने इस्लाम की तमाम ज़रूरियात को मानते हों जो लोग दीन की ज़रूरियात में से किसी बात का इन्कार करें और यह इन्कार किसी तावील की बिना पर न हो वह लोग अहले किब्ला नहीं कहे जायेंगे।

6. कबीरा गुनाह के करने से कोई मुसलमान काफ़िर नहीं होता बशरते कि उस को गुनाह जानता हो।

7. चमड़े के मोज़ों पर मस्ह करना दुरुस्त है, नबीज़ हलाल

है, मुतआ हराम है, यह चीज़ें अगर्चे अज़ किस्म ऐतकादात असलियह नहीं हैं मगर चूकि अहले सुन्नत और अहले बिदअत का शग़फ़ इन मसाएल में बहुत हुआ इसलिए उलमा ने अकाएद में उन का ज़िक़र फरमाया है।

नबीज़- उस पानी को कहते हैं जिसमें छुहारे या अंगूर डाल दिये जाएं कि उनकी शीरीनी पानी में आ जाए और कुछ तेज़ी पैदा हो जाए लेकिन नशा न पैदा हो, नशा पैदा हो जाए तो बिलइत्तिफ़ाक़ उसका एक कतरा भी हराम है।

8. रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन लोगों के लिए ज़न्नत की खुशख़बरी सुनाई उनको हम क़त्तई ज़न्नती जानते हैं, उनके सिवा किसी ख़ास शख्स की बाबत क़त्तई ज़न्नती होने की शहादत नहीं दे सकते हैं।

9. किसी गुनाहगार पर बित्तख़ासीस लानत करना जाएज़ नहीं है।

10. रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अस्हाब

का जिक्र बुराई के साथ जाएज नहीं बल्कि जरूरी है जब उनका जिक्र किया जाये तो तारीफ के साथ किया जाये।

सहाबा किराम रजि० मुहाजिरीन व अन्सार की बड़ी तारीफ़ कुर्आन शरीफ में है। खुदा ने उनसे अपनी रज़ा मन्दी ज़ाहिर फरमाई है और उनके बड़े-बड़े मदारिज इरशाद फरमाए हैं, मुहाजिरीन व अन्सार में भी अहले हुदैबिया का और उनमें अहले बदर का और उन में भी अशर-ए-मुबशिशरा का और उनमें भी खुलफा-ए-राशिदीन रजि० का रुत्बा दूसरों से ज़्यादा बताया है।

सहाब-ए-किराम रजि० के साथ हुस्ने ज़न न रखने से तमाम रवाफिज़ इसी मुसीबत में मुब्तला हैं कि अपना ईमान कुर्आन शरीफ़ और आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूव्वत पर साबित नहीं कर सकते हैं, उसका असली सबब यही है कि उन्होंने सहाब-ए-किराम

रजि० से बजाये हुस्ने ज़न के सख्त से सख्त बदगुमानियां पैदा कर लीं।

11. रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद किसी ऐसे शख्स को जो दीन के काएम रखने और अहकामे शरइया के जारी करने की सलाहियत रखता हो अपना इमाम मुन्तख़ब करना जिसको खलीफ़ा भी कहते हैं मुसलमानों पर ज़रूरी है, खलीफ़ा का मासूम होना या खुदा और रसूल की तरफ़ से नामज़द होना ज़रूरी नहीं।

इस मसअले में रवाफिज़ ने अहले सुन्नत वल जमाअत की बड़ी मुख़ालिफ़त की है, वह लोग कहते हैं कि खलीफ़ा का तकर्रूर अल्लाह की तरफ़ से होना चाहिए, वह लोग बज़ाहिर तो हज़रत अली और अइम्मये माबाद का रुत्बा बढ़ाते हैं कि उनको मिस्ल रसूल कहते हैं लेकिन दर हकीक़त वह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सख्त तौहीन करते हैं। रवाफिज़ के इमामत का

मसअला फ़िलवाक़ेअ आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़त्म नुबूव्वत का इनकार है। नअूज़ बिल्लाह मिन्हु।

12. रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद ख़िलाफ़ते राशिदा तीस बरस रही, उस मुद्दत में जो हज़रात खलीफ़ा हुए वह खुलफ़-ए-राशिदीन हैं अनको हम तमाम सहाब-ए-किराम से अफ़ज़ल मानते हैं और उनमें बाहम एक दूसरे पर बतरतीब ख़िलाफ़त फ़ज़ीलत है।

अगरचे यह मसअला भी फ़ुरुई मसअला है, मगर रवाफिज़ ने इस मसअले में अहले सुन्नत से इख़्तिलाफ़ करके ऐसे ख़राब नताइज़ पैदा कर दिये हैं कि यह मसअला बहुत ज़्यादा अहम हो गया है और उलमा-ए-इस्लाम को साफ़ कहना पड़ा कि जब तक खुलफ़ा-ए-राशिदीन रजि० की ख़िलाफ़त को हक़ न माना जायेगा दीन का कोई मसअला काएम नहीं रह सकता।



बन्दों के हकों की अदायगी

—मौ० स० मुहम्मद हमजा हसनी नदवी

अकाइद दुरुस्त होने के बाद और अल्लाह के हुक्क के बाद सबसे बड़ा मसअला बन्दों के हुक्क का है, यह बात हम सब जानते हैं कि तौबा करने और माफी चाहने या अपनी रहमत से अल्लाह तआला अपने हुक्क मुआफ़ फरमा देगा, लेकिन उसने बन्दों को इस बात का हक दिया है कि वह अपने हुक्क व मुतालबात मुआफ़ करें या ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसके जिम्मे अपने किसी भाई का मुतालबा हो उसकी तौहीन या बदनाम करने का या किसी और किस्म की चीज़ का हक हो तो आज ही इस दुनिया में उससे सफ़ाई करले इसके पहले कि जब ना दीनार होगा न दिरहम, अगर उसका कोई नेक अमल होगा तो उसमें से बक़्द्र मुद्ई के मुतालबा और हक के ले लिया जाएगा और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो साहिबे

हक के गुनाह मुद्आ अलैहि पर डाल दिये जाएंगे।

एक दूसरी हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाब—ए—किराम से पूछा कि जानते हो कंगाल और खाली हाथ कौन है? सहाब—ए—किराम ने अर्ज किया कि जिस के पास न नक़्द हो न सामान, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में मुफलिस और कंगाल वह हैं जो कियामत के दिन नमाज़, रोज़ा जकात सब लेकर आएगा लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी पर तुहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा तो उनको कियामत में उसकी नेकियां दे दी जाएंगी जब नेकियां भी ख़त्म हो जाएंगी और उस पर मुतालबा बाकी होंगे तो उसके गुनाह लेकर इस पर डाल दिये जाएंगे वह जहन्नम में फेंक दिया जायेगा, ऐसे

बड़े ख़तरे और नुकसान से बचने के लिए और अपना दामन हिसाब व किताब से साफ़ रखने के लिए हमको अपने मुआमलात की सफ़ाई की ज़रूरत है।

हक को गैर जानिबदाराना तौर पर गौर करना चाहिए और अपने पिछले मुआमलात पर गौर करना चाहिए और मौजूदा हालात की भी जांच करनी चाहिए, अगर खरीद व फ़रोख़्त में, तिजारत में, आपस की तिजारती शिरकत में कोई हक किसी का हमारे जिम्मे रह गया है तो उसको फौरन साफ़ कर लेना चाहिए या हमारे जिम्मे कोई कर्ज़ है तो उसकी अदायगी की फ़िक्र करनी चाहिए, इस गुमान में ना रहना चाहिए कि औलाद अदा कर देगी, अगर आपसे खुद ना अदा करने की कोताही होगी तो औलाद या वारिस कैसे अदा करेंगे? अपना मुआमला खुद साफ़ कराना चाहिए।

शेष पृष्ठ.....24 पर

सच्चा राही फरवरी 2013

अस्हाबे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)

—हजरत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाब—ए—किराम रजि० की जो जमाअत बनी वह ईमान और मुहब्बते रसूल और आपके लिए हुए देने इस्लाम की पैरवी में नाकाबिले तस्खीर पहाड़ की तरह थी और ब तदरीज इतनी बड़ी तादाद में यह जमाअत तैयार हुई कि तारीखे इन्सानी में ऐसी स्वालेह और पुख्ता ईमान और दीन में पुख्तागी की कोई मिसाल नहीं मिलती, और यह दर अस्ल अल्लाह तआला की तरफ से था जिसने यह फैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद किसी नबी के आने की जरूरत नहीं और आप को सुहबत और रहनुमाई हासिल करने वालों की जमाअत की ऐसी सिफात और किरदार बना दिया कि वह नुबूवत की सही नियाबत करते हुए इस दीन को और आला इन्सानी सिफात को आगे बढ़ाएं, उसके अफराद में से हर एक अपनी जगह

आफताब व माहताब था, और आपने उनके बारे में तस्दीक भी की, फरमाया मेरे अस्हाब सितारों की तरह हैं उनमें से जिसकी इत्तिबाअ करोगे हिदायत पर रहोगे।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जो जितना ज्यादा करीब रहा उसको उतनी ज्यादा अव्वलियत हासिल हुई, आपसे सबसे ज्यादा करीब हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजि० रहे, जिनसे आपकी रफाकत और दोस्ती नुबूवत के पहले से थी, वह तकरीबन आपके हम उम्र थे, सिर्फ दो-ढाई साल छोटे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात के बाद इस दीने इस्लाम को काइम रखने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सबसे पहले आपको मिली और आप खलीफ—ए—अव्वल हुए, फिर तरतीब से आपके बाद तीन दीगर खुलफा हुए (हजरत उमर रजि०, हजरत उस्मान रजि०, हजरत अली रजि०)

जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सच्चे जानशीन हुए और खुलफा—ए—राशिदीन कहलाए, उन सबके बारे में खिलाफते राशिदा यानि आला मेयार की खिलाफत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात के बाद तीस साल तक जारी रहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वही के ज़रिए जो अखलाक व सिफात और जिन्दगी की मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में जो तरीक—ए—अमल इख्तियार किया था और अपने सहाबा को उसकी तर्बियत की थी उसके मुताबिक इस्लामी दस्तूरे हयात को सहाब—ए—किराम के जरिये बिना कमी—बेशी जारी किया जाता रहा, जिसके ज़रिये आइन्दा के लिए एक आला नजीर बन गई और देने सही का रास्ता रोजे रौशन की तरह मुकर्रर हो गया और बाद में आने वाले के लिए नमूना बन गया।

शेष पृष्ठ..... 33 पर
सच्चा राही फरवरी 2013

तीन कुव्वतों की जरूरत

—मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी

—अनु० नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

ज्ञान, धन और सत्ता

कुछ संक्षिप्त रूप से और कुछ विस्तृत रूप से जानते हैं, ये अलग बात है कि हर मुसलमान को इस्लामी इतिहास से जरूर वाकिफ होना चाहिए, जो अपने माजी से वाकिफ नहीं होता वह भविष्य का विजेता नहीं बन सकता, और जो अपनी बुनियाद से परिचित नहीं होता वह मजबूत और बुलन्द इमारत नहीं बना सकता। इसी कारण जो लोग भूतकाल के इतिहास से परिचित नहीं होते वह लोग हजार कोशिशों के बावजूद नाकाम रहते हैं। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी बुनियाद से वाकिफ हों। बुनियाद तो बड़ी लम्बी-चौड़ी है, संक्षिप्त रूप से कुछ बातें जेहन में रहनी चाहिए, जैसे जब अल्लाह के सन्देश (रसूल) हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया में आए तो शुरु से ही विरोधियों का

सामना करना पड़ा, जिसको वरका बिन नौफिल ने बता दिया था कि जो तुम हक (सत्य) लेकर आए हो, हक जब भी आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा और जब सही बात की जाएगी तो लोगों को नापसन्द होगी और जब हक का प्रचार किया जाएगा तो जो विरोध बाहर से हुआ वह तो होगा लेकिन अन्द से भी होगा। मुखालिफत से घबराना काम करने वालों के लिए कोई हकीकत नहीं रखता। उसे घबराना नहीं चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। विरोध चाहे कितना भी हो अंत में निर्णय हक वालों के ही पक्ष में होता है। समय की बात होती है, कभी जल्दी और कभी देर, लेकिन जाहिर है कि इसमें हमारी कोशिशें होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने सिस्टम ऐसा रखा है जिसको हजरत अली रजि० ने आसानी से समझाया है और अल्लाह

ने उनको समझाने और मसलों को हल करने की असाधारण कौशल दिया था।

एक बार एक आदमी ने हजरत अली रजि० से आकर पूछा कि हमको कितना इख्तियार है और कितना नहीं? ये पेचीदा सवाल है, लेकिन हजरत अली रजि० ने एक मिनट में हल कर दिया। उससे कहा कि सामने आ जाओ और पैर उठाओ। उसने उठाया। कहा, दूसरा उठाओ। उसने कहा, नहीं उठा पाऊँगा। आपने कहा, बस यही है। इस तरह हजरत अली रजि० ने बात स्पष्ट कर दी, जो अकलमन्दों के लिए काफी है। लेकिन हम इसमें गौर नहीं करते, इसलिए मसला अधूरा रह जाता है। होता ये है कि आप इसी पैर को ले लीजिए। ये दोनों उठाकर चलेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे अर्थात् जिसमें इख्तियार था उसको नहीं इख्तियार किया और जिसमें इख्तियार

सच्चा राही फरवरी 2013

नहीं था उसको इख्तियार किया तो औंधे मुंह गिरे या फिर दोनों पैर ज़मीन पर रखकर चलेंगे तो भी गिरेंगे, इसमें आसानी से चला नहीं जा सकता। तो मालूम हुआ कि एक पैर उठाए और एक रखे। इख्तियारी व गैर इख्तियारी निज़ाम—

इसै तरह बस और बेबस का एक सिस्टम चल रहा है। अब जो कोशिशें हमारे बस में हैं वह हमारे इख्तियार में हैं। वह हम कर लें और अल्लाह पर छोड़ दें। जैसे मेहनत हम करें, फल अल्लाह के जिम्मे। मेहनत हम करें नतीजा अल्लाह देगा। वह अल्लाह पर छोड़ दे या इसको यूँ समझ लीजिए कि नेक बनना हमारे जिम्मे और सुधारक बनाना अल्लाह के जिम्मे है। होता ये है कि हम केवल सुधारक बन जाते हैं और औंधे मुंह गिरते हैं। हम केवल सदाचारी बनने का प्रयत्न करें शेष अल्लाह सुधारक बनाएगा। जिसको अल्लाह सुधारक बचाता है वह तरक्की करता चला जाता है और जो स्वयं सुधारक बनता है

वह स्वयं समस्या बन जाता है। इसलिए ये आज का मर्ज़ हो गया है कि हर इन्सान सुधारक बनना चाहता लेकिन स्वयं सदाचारी नहीं बनता। सब ये चाहते हैं कि हम रहबर (मार्गदर्शक) बन जाएं, सुधारक बन जाएं, जिसका परिणाम ये होता है कि खुद तो अपना नुकसान करता ही है दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आदमी को समझना चाहिए कि जिस चीज़ में इख्तियार है उसको करे और जिसमें इख्तियार नहीं उसको अल्लाह के हवाले कर दे।

जब अल्लाह के रसूल (सन्देश) हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने काम को आगे बढ़ाया तो लोगों में घनिष्टता बढ़ती चली गई। अन्सार व मुहाजिरीन ये समझे कि सगे भाई हैं। ये उस बंधुत्व और भाईचारे का परिणाम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अन्सार व मुहाजिरीन के बीच कायम कराया था। यहां तक कि ये भी लगा कि विरासत में भी उनका हिस्सा निर्धारित हो जाएगा लेकिन

इस्लाम चूंकि प्राकृतिक धर्म है इसलिए उसने हर अप्राकृतिक चीज़ को खत्म कर दिया। किसी को बेटा बना लेना अप्राकृतिक (गैर फितरी) है, खूब खातिर कीजिए लेकिन बेटा हमारा, ये हो ही नहीं सकता। जैसे आप उनके सगे भाई नहीं, लेकिन आप उनको सगे भाई से बढ़कर समझें लेकिन सगा भाई हो जाए, ये नहीं हो सकता। आपने पहले बंधुत्व स्थापित किया, एक दूसरे को भाई-भाई बना दिया। जब मज़बूत हो गए तो कहा कि आगे बढ़ो, अपने बंधुत्व के काफिले को आगे बढ़ाओ। यहां तक की जो आते गए उनको भाई बनाते गए। यहां तक की दिलों को जोड़ दिया गया, मुहब्बत पैदा हो गई इस तरह जब काफिला आगे बढ़ा तो मिस्र, शाम (सीरिया) अफ्रीकी देशों से लेकर रूस तक इस्लाम फैल गया। वह इलाके अपनी कठोरता और सख्ती में बढ़े हुए थे, इसके बावजूद मोरक्को (मराक़श) में एक ऐसी कौम ईमान (इस्लाम) लाई जिसके नाम

से खूँरेजी और बर्बरता जुड़ी हुई थी, लेकिन इस्लाम लाने के बाद मानवता और समतामूलक समाज के लिए आदर्श बन गए। ये इस्लाम का वह कारनामा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित हुआ तो नृशनता समाप्त हो गई। उसने सबको बदल कर रख दिया मानो उनकी बर्बरियता को खत्म कर दिया, फिर आगे बढ़कर ये ये कि उनकी ज़बानें ही बदल गईं, ये काम इस्लाम के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। यहां तक कि इब्रानी, सीरियानी, किब्टी बरबरी आदि भाषाएं थीं जो इतिहास बन गईं कि इन्हें कोई जानता ही नहीं। यहूदियों की ज़बान इब्रानी थी जिसको वह दोबारा जिन्दा करने की कोशिश में लगे हैं जो खत्म हो चुकी है, लेकिन यहूदियों ने दोबारा जिन्दा करने की फिक्क की है और जिन्दा कर रहे हैं तो ये एक कारनामा है और ये कारनामा ऐसा है जिसे लोग भूल जाते हैं अन्यथा ये बहुत बड़ा

कारनामा है। इस्लाम ने कई देशों की ज़बानें बदल दीं। जैसे मिस्र में अरबी नहीं थी, अरबी हो गई। सीरिया में सीरियानी थी, अरबी हो गई। लीबिया में बरबरी थी, अरबी हो गई। सूडान में अरबी हो गई। लेकिन जो इलाके दूर थे और वहां उसकी ताकत कम होती जाती थी, वहां ये किया कि भाषा को मुसलमान बना लिया। ये नहीं कि ज़बान को बदल दिया बल्कि भाषा को मुसलमान कर दिया। जैसे ईरान की ज़बान फारसी थी उसको ऐसा बदल दिया कि फारसी ज़बान खुद पूरी की पूरी मुसलमान हो गई। फारसी ज़बान ऐसी मुसलमान हुई कि हमारे मदरसों की एक अभिन्न अंग बन गई कि आजतक पढ़ाई जा रही है।

हालांकि सारी ज़बान अल्लाह की हैं। अल्लाह स्वयं कुर्आन में फरमाता है "और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीनों का पैदा करना और तुम्हारी बोलियों और रंगों का अलग-अलग होना, इसमें बड़ी निशानियाँ हैं"।

अल्लाह ने ज़बान बदल दी, उसमें भी तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं। ईरान की ज़बान को मुसलमान कर लिया गया गोया कि सरकारी ज़बान अरबी ही रही और फारसी भी इस्लाम की ज़बान रही। यहां तक कि हिन्दुस्तान की सरकारी ज़बान बन गई, पूरे महाद्वीप की सरकारी ज़बान बन गई। बताना ये है कि उन लोगों ने ज़बान बदल दिया, फिर उसको मुसलमान कर लिया। ये एक कारनामा था क्योंकि भाषा का प्रभाव बहुत पड़ता है। अब उसके बाद ये हुआ कि मुसलमान ज़वाल के शिकार हो गये। जो लगभग एक हजार वर्ष का दौर रहा या लगभग पाँच सौ साल का दौर तो जरूर समझिये, अर्थात् उनके मुकाबले में जगत में कोई था ही नहीं। यहां तक कि यूरोप के लोग अरबी सीखने और पढ़ने में फख्र महसूस करते थे। जैसे कि आज अंग्रेजी सीखने और पढ़ने में महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही यूरोप के लोग अरबों के पास आकर खुशामद करते थे कि हमको

अरबी सिखा दो। और वह समस्त ज्ञान मुसलमानों से सीखते थे। अरबी का वही हाल था जो इस ज़माने में यूरोप की ज़बान का हाल पूरी दुनिया में है। धीरे-धीरे पांसा पलटा। उन्होंने ज्ञान व कला को अपने हाथ में ले लिया और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर और ज्ञान व शिक्षा से बेगाना बना कर अलग कर दिया।

ये एक पूरा इतिहास है। बताना ये है कि एक दौर यूरोप का आया और पूरी दुनिया में छा गया और इस प्रकार छाया कि उनकी ज़बान असल ज़बान करार पाई और वह ज्ञान जो मुसलमानों के थे और मुसलमानों ने ही उनकी आधारशिला रखी थी को आगे बढ़ाया, विश्व को उससे परिचित कराया। यूरोप ने ज्ञान मुसलमानों से लिया और मेहनत करके आगे बढ़े। उन्होंने इसके अन्दर से इस्लामियत को खत्म करने की कोशिश की कि उसके अन्दर गैर इस्लामी तत्व दाखिल हो जाएं।

अरबी पर भी उन्होंने मेहनत की, मिटाने का प्रयास किया। वह जानते थे कि जड़ यही है, जड़ काट दो तो पूरा पेड़ सूख जाएगा। इसलिए इस पर इतने तीर चलाए हैं कि इसको अरबी वाले ही जानते हैं। आमी ज़वाब को रवाज देने की कोशिश की गई। अरबी ज़बान को क्षेत्रीय भाषाओं में बांटने का प्रयास किया गया। विभिन्न शैली में बांटने की कोशिश की गई लेकिन अरबी, अरबी है जब तक वह कुर्आन व हदीस से जुड़ी है। जब तक कुर्आन है तब तक अरबी है और कुर्आन को कोई बदल ही नहीं सकता। इसलिए अरबी को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता।

ज़माना पलट गया। आज भी अरबी भाषा का प्रभुत्व वैसे ही है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक कुर्आन है, तब तक अरबी रहेगी। लेकिन यह ज़रूर हुआ कि इस्लाम विरोधियों ने बहुत पढ़े लिखे लोगों को अपने काम के लिए

खरीदा, उनसे इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले काम कराये और जहाँ-जहाँ उनका शासन था, विशेषरूप से एशियाई महाद्वीप में, वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी से मुहब्बत पैदा करने का भरपूर प्रयास किया और इसमें वह किसी सीमा तक सफल भी रहे। परिणाम यह हुआ कि लोग अंग्रेज़ी भाषा का शब्द बोलने में फख्र महसूस करने लगे। हमारे बड़ों ने बताया कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हिन्दुस्तान में थी, उस समय एक अंग्रेज़ जब रास्ते से गुज़रता था तो सारे लोग खड़े हो जाते थे, हमने देखा नहीं सुना है। इस पर हम लोग शुक्र अदा करते हैं कि हमने वह दौर नहीं देखा कि जब अंग्रेज़ गुज़रता था तो सबको सांप सूँघ जाता था। एक मामूली गंवार घर जा रहा था, उसने एक मुसलमान से खड़े हो कर कह दिया How Are You या कोई नाम पूछ लिया कि What is Your Name जब वह घर पहुंचे तो बोल ही नहीं रहे हैं, लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ, बोलते क्यों

नहीं? तो उन्होंने कहा, जानते नहीं हो, आज अंग्रेज़ ने मुझसे कहा कि How Are You तो इतनी सी बात में इतने मस्त थे कि समझते थे कि हम इस लायक नहीं कि उनसे बात करें। इतना फख्र महसूस करते थे, क्या दौर रहा होगा?

बल्कि हमारे एक बुजुर्ग ने बताया कि बात यहां तक पहुंच गई थी, एक साहब कहा करते थे कि कितने खूबसूरत लोग हैं गोरी चमड़ी वाले। उनको अल्लाह जहन्नुम में कैसे डालेगा? ये है आत्महीनता, और पसमान्दगी। जब आदमी किसी से प्रभावित होता है तो बात कहां से कहां पहुँच जाती है। ये दौर था। अल्लाह का शुक्र है कि हमने वह दौर नहीं देखा अन्यथा उस दौर के कितने मुसलमान जहन्नुम में चले गए।

इसलिए जब अंग्रेज़ों की गुलामी की, उनके रास्तों पर पड़े तो न इधर के रहे न उधर के। इसलिए कि वह अल्लाह के रसूल (सन्देश) का मज़ाक उड़ाते थे और

इस्लाम का मज़ाक उड़ाना तो आज तक जारी है, अर्थात् सब कुछ समाप्त हो जाने के बावजूद भी इतना प्रभाव है। आम बोल चाल में लोग कितनी अंग्रेज़ी बोलते हैं। आधी अंग्रेज़ी होती है आधी उर्दू। मुझे तो हंसी आती है कि एक शब्द बोलेंगे कि आपका नाम क्या है, फिर अंग्रेज़ी का शब्द बोलना शुरू कर देंगे। अरे भाई! न अंग्रेज़ी है न उर्दू, क्या बोल रहे हो? और ये जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी बातचीत सुनिए आप। और आजकल मुझे बहुत सुनने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि आजकल हम बच्चों में इनामों का मुकाबला करा रहे हैं।



बच्चों के हकों की

अगर जायदाद है तो अपने शिरकतदारों को शरीअत के मुकर्रर करदा तरीके के मुताबिक उनका हक देना चाहिए, यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे बहन-भाई हैं, आपस की बात है, मैदाने हथ में न कोई किसी का

बेटा काम आएगा, ना भाई ना बहन, हर शख्स अपनी फिक्र में परेशान व हैरान होगा।

इसी तरह अगर किसी पर तुहमत लगाई है, किसी को परेशान किया है, किसी की गीबत की है, किसी को नुकसान पहुंचाया है तो उसको उसकी ज़िन्दगी में सब से अहम काम जानकर मुआमले को साफ कर लेना चाहिए, मुआफ करा ले या उसका हक उसको दे दे, बाहरी हुकूक और मुआमलात में हमसे कोताही होती है और अक्सर वह हमारे जिम्मे बाकी रह जाती है, उसकी वजह से दुनिया में भी हमारे अन्दर से मुहब्बत व तअल्लुक, ईसार, कुर्बानी एक दूसरे की मदद और एक दूसरे के दुख-दर्द में शरीक होना सब खत्म होत जा रहा है। और घर-घर तफरका और बाहमी मुनाफिरत पैदा होती जा रही है और पूरा मुआशरा बरबाद होता जा रहा है और आखिरत में जो पेश आएगा व मजकूर-ए-बाला हदीस से पूरी तरह सामने आ जाता है। □□

आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: अगर 9 ज़िलहिज्ज को अरफ़ात के मैदान में जुमे का दिन हो तो वहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ी जाएगी या नहीं?

उत्तर: अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज किया तो 9 ज़िलहिज्ज को जुमा था, आपने अरफ़ात के मैदान में जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ी बल्कि ख़ुत्बे के बाद जुह और अस्र एक साथ पढ़ी। अज़ान एक हुई फिर इक़ामत हुई और जुह की नमाज़ पढ़ी, तुरन्त दूसरी इक़ामत हुई और अस्र की नमाज़ पढ़ी। दोनों नमाज़ें दो, दो रक़अत क़स्र पढ़ी, लिहाज़ा जब 9 ज़िलहिज्ज को जुमा होता है तो अरफ़ात में जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी में जुह और अस्र की नमाज़ इमाम एक साथ पढ़ाता है। और दो, दो रक़अत क़स्र पढ़ाता है। चूँकि मज्मा इतना ज़्यादा होता है कि मस्जिदे निमरा में

एक साथ नमाज़ पढ़ना मुमकिन नहीं हो सकता इसलिए खेमों में लोग जमाअतें बना कर नमाज़ अदा करते हैं।

प्रश्न: अगर 10 ज़िलहिज्ज या 8 ज़िलहिज्ज को जुमा हो तो मिना में जुमे की नमाज़ का क्या हुक्म है?

उत्तर: मिना में अगर 8,10,11 या 12 ज़िलहिज्ज को जुमा हो तो जुमे की नमाज़ पढ़ी जाएगी लेकिन मौजूदा सूरते हाल में 30 लाख से ज़्यादा लोगों का मस्जिदे खैफ़ में जुमा अदा करना बड़ा मुश्किल काम है, फिर मौजूदा दौर में फायर प्रूफ़ खेमे इस तरह बनाये गये हैं कि हर बड़े खेमे में सैकड़ों छोटे खेमे होते हैं, हर छोटे खेमे में लगभग 20 हाजी ठहरते हैं, उसमें औरतें भी होती हैं, ऐसी सूरत में जुमे की नमाज़ के लिए सबका एक जगह जमा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए बाज़ उलमा ने लिखा है कि मिना में

हाजियों पर जुमा वाजिब नहीं, जो पढ़ सकता हो वह पढ़ ले। वल्लाहु आलम।

प्रश्न: सवाब किसे कहते हैं?

उत्तर: नेकी पर मिलने वाले बदले को सवाब कहते हैं।

प्रश्न: नेकी किसे कहते हैं?

उत्तर: हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी में जो काम किया जाए वह नेकी है। नेकी हर उस भले काम को कहते हैं जिससे किसी जानदार को फाइदा पहुंचे, लेकिन अस्ल नेकी जिससे दोनों जहानों में बदला मिलने की उम्मीद की जा सकती है वह है जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह का रसूल मानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी में की जाए, ऐसी नेकी का सवाब इस दुनिया में भी मिलने की उम्मीद है जैसा कि क़ुर्आन में है अनुवाद— (और मैंने कहा तुम अपने

परवरदिगार से बख्शिश तलब करो, वह बड़ा बख्शाने वाला है, वह तुम पर खूब वर्षा बरसाएगा और तुम को माल और बेटे देकर तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें मुहय्या करेगा) (नूह: 10-12)। और नेकी का सवाब आखिरत में तो यकीनी है जैसा कि आले इमरान-185 की आयत से ज़ाहिर है— अनुवाद “पूरा-पूरा बदला तो तुम आखिरत ही में पाओगे” रहे वह भले काम जो अल्लाह के नबी पर ईमान लाए बिना किये जाएं तो वह अगर किसी जुल्म व ज़्यादती से रद नहीं हुए हैं तो उनका बदला इस दुनिया में मिलने की उम्मीद है, और ऐसा बराबर देखने में आता रहता है।

प्रश्न: क्या अपना सवाब किसी दूसरे को दिया जा सकता है?

उत्तर: बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस का मफहूम यह है कि एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिर्दमत में हाज़िर हुए और अर्ज किया कि मेरी माँ का इन्तिक़ाल

हो गया, वह आखिर वक्त कुछ वसीयत न कर सकीं, क्या मैं उनकी तरफ से सद्का करूँ तो उसका सवाब उनको पहुंचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, हाँ पहुंचेगा”। इसी तरह की बाज और रिवायतें हैं जिनसे उलमा ने माना है कि किसी की तरफ से कोई नेक काम कर दिया जाए या नेक काम करके अल्लाह तआला से दरख्वास्त की जाए कि ऐ अल्लाह। हमारे इस काम को कबूल फरमा और इस का सवाब फुलों की रूह को बख्श दे तो उस तक सवाब पहुंचने की उम्मीद है। नेक काम यानी इबादत चाहे बदनी हो जैसे कुर्आन मजीद की तिलावत या नफ़ल नमाज़ वगैरह, चाहे माली हो जैसे सद्का-ख़ैरात वगैरह, लेकिन यह ज़रूरी है कि सवाब भेजने वाला और जिसको सवाब भेजा जा रहा हो दोनों ईमान वाले हों, जैसा कि आयत के अनुवाद “नबी के लिए और दूसरे मुसलमानों के लिए यह बात जाएज़ नहीं है कि वह मुशिरकीन के लिए मग़फ़िरत

तलब करें”। सूर: तौबा-113 से साबित है कि ग़ैर मुस्लिम को आखिरत में नेकी का बदला न मिलेगा।

लिहाज़ा ग़ैर मुस्लिम को इसाले सवाब नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ज़िन्दा ग़ैर मुस्लिम के लिए दुनियावी फ़लाह की भी दुआ की जा सकती है और हिदायत की भी। प्रश्न: किसी को अपना सवाब बख्शाने अर्थात् फातिहे का तरीका क्या है?

उत्तर: पहले आप सवाब हासिल करें जैसे कुर्आन मजीद पढ़ें या किसी ग़रीब को उस की ज़रूरत की चीज़ जैसे खाना, कपड़ा या नक़द दें फिर अल्लाह तआला से दुआ करें कि ऐ अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा कर इसका सवाब फलों की रूह को बख्श दे, दुआ करते वक्त हाथ उठा कर दुआ करना और दुआ से पहले अल्लाह की हम्द के तौर पर सूर-ए-फातिहा पढ़ना और दुरुद शरीफ पढ़ना भी दुरुस्त है, कुछ पढ़ने से पहले यह नीयत करना कि मैं फलों सच्चा राही फरवरी 2013

को सवाब पहुंचाने के लिए तिलावत करने जा रहा हूं या खाना या अनाज या कपड़ा मुहय्या करके नीयत करे कि यह चीजें फलां को सवाब पहुंचाने के लिए खैरात करूंगा और फिर तिलावत की तौफीक मिल गई या चीजों के खैरात करने की तौफीक मिल गई तो भी सवाब पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह अगर किसी ने खाना सामने रख कर कुछ पढ़ा और दुआ की कि मैंने जो कुछ पढ़ा है उस का सवाब और इस खाने को मुस्तहिक को देने का सवाब फलां की रूह को बख्श दीजिये फिर खाना मुस्तहिक तक पहुंचाने की तौफीक मिल गई तब भी उम्मीद है सवाब पहुंच जाएगा। कुछ लोगों ने इसी तरीके से ईसाल सवाब (फातिहा) को जरूरी समझा है, यह सही नहीं है, सबसे अच्छा तरीका जो पहले बयान हुआ वही है।

प्रश्न: फातिहा का शरीअत में क्या हुक्म है?

उत्तर: फातिहा (ईसाले सवाब)

शरीअत में न फर्ज है न वाजिब और न सुन्नत, लेकिन इससे मुर्दे की रूह को फाइदा पहुंचता है इसलिए इसे एक अच्छा काम कह सकते हैं, अगर कोई सिर से फातिहा न करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन ईसाले सवाब से जहां नेक रूहों को सवाब में इजाफा होता है वहीं गुनहगार रूहों के अजाब में कमी की उम्मीद है और इस दुनिया में कम ही ईमान वाले होंगे जो गुनाहों से पाक साफ इस दुनिया से गये होंगे, लिहाजा अपने अजीजों को सवाब पहुंचाते रहना चाहिए यानी उनके लिए फातिहा करते रहना चाहिए।

प्रश्न: हमारे यहाँ कुछ लोग हज़रत बड़े पीर, हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी की फातिहा देग पर या कई देगों पर फातिहा दे कर अमीर व गरीब सब तबरूक के तौर पर खाते हैं इस का क्या हुक्म है?

उत्तर: यह तरीका लोगों ने नया निकाल लिया है खुद शैख अब्दुल कादिर जीलानी रह0 अपने बुजुर्गों की फातिहा

इस तरह न देते थे उनकी किताब "गुन्यतुत्तालिबीन" अगरचि उस में मिलावट की गई है फिर भी उसमें इस तरह के फातिहे का जिक्र मौजूद नहीं है कि उन्होंने अपने बड़ों जैसे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन या हज़रत अली या हज़रत अबू बक्र व उमर या उस्मान रज़ि0 को फातिहा इस तरह दी हो और खाना—शीरीनी तबरूक के तौर पर तक्सीम किया हो, लिहाजा यह दीन में नया तरीका है। फिर भी अगर देगों के मालिक ने यह नीयत की है कि इसे तमाम मुसलमानों अमीर व गरीब सब को खिलाऊँगा तब तो उसका खाना साहिबे निसाब मुसलमानों के लिए भी दुरुस्त होगा लेकिन अगर नीयत न की हो या देगों पर दुआ की गई हो कि इस के खाने के खैरात करने का सवाब शैख अब्दुल कादिर को पहुंचे तो वह सिर्फ गरीबों का हक है। रहा यह अकीदा की जिस खाने पर शैख अब्दुल कादिर रह0 के नाम

शेष पृष्ठ.....30 पर

सच्चा राही फरवरी 2013

अमेरीका में एक ख़ातून डॉ० का कुबूले इस्लाम

हिन्दी लिपि: मंज़र सुब्हानी

—उम्मे सुफियान

अमेरीका की इस नौजवान डॉक्टर ने तर्जुमा कुर्आन पाक का नाक़दाना नज़र से मुताला किया है, दौरान मुताला वह इसके अन्दर (मगरिब की मज़रूमा) ग़लतियां ढूँढ़ती थी, लेकिन उस वक़्त उसकी हैरत की कोई इन्तिहा न रही जब इसे इस लाज़वाल किताब में अपने हर उस सवाल का जवाब मिल गया जो बचपन से ही इसके ज़ेहन व दिमाग में गर्दिश किया करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि चन्द माह बाद ही इसने अपने कबूले इस्लाम का एलान कर दिया और अब उसका इस्लामी नाम "मारिया" है।

25 साल की जवाँ साल अमेरीकन डॉक्टर अपनी सर गुज़िश्त आप ही बयान करते हुए कहती हैं कि अमेरीका के सुबा कल्युलैण्ड में मेरी परवरिश एक दीनदार कैथोलिक घराने में हुई, इलमुन्नफ़स में मैंने बी०ए० की डिग्री हासिल की, इसके बाद

मैंने मेडिकल कॉलेज में दाख़िला लिया, जहाँ इस वक़्त मैं एम०ए० का मक़ाला तैयार कर रही हूँ। मगर मैं अपने अक़ाएद और अफ़कार व ख़्यालात से मुतमईन नहीं थी, मुझे हमेशा एक मुबहम सा अनजाना करब व इज़तराब सताता रहा है और "तसलीस" की माहियत व हकीकत के मुतअल्लिक मेरे ज़ेहन में तरह-तरह के सवालात उठते रहते, मजीद बरआँ कैथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट और आर्थोडिक्स फ़िरकों में बंट कर नस्रानियत व मसीहियत का तसव्वुर क्यों मुख़्तलिफ़ हो जाता है? और हर एक के अन्दर इसका एक ख़ास मफ़हूम क्यों मुतअय्यन हो जाता है? मेरा ईमान तो सिर्फ़ एक अल्लाह पर था, ग़लती व सच्चाई और हक़ व नाहक़ के दर्मियान मैं इम्तियाज़ करने की सलाहियत रखती थी, मगर इस्लाम के मुतअल्लिक सन्जीदगी से इस ज़ाविए नज़र से कभी नहीं सोचा कि यह भी कोई क़ाबिले

कबूल और क़ाबिले तक़लीद दीन व मज़हब है। इस्लाम के मुतअल्लिक मेरा जो कुछ तसव्वुर था वह सिर्फ़ यह था कि वह यर्गमालियों और जंगों और दहशतगर्दी व तशद्दुद पसन्दी इन्तिहा परस्ती व बुनियाद परस्ती का दीन है और यह कि मुसलमान क़त्ल व खूरेज़ी जुल्म व सफ़ाकी की खुगर एक वहशी कौम है।

मारिया मजीद कहती हैं कि मेरे कबूले इस्लाम की कहानी उस वक़्त से शुरू हुई जब मैंने युनिवर्सिटी में दाख़िला लिया और तर्जुमा कुर्आन पाक का तन्कीदी निगाह से मुताला शुरू किया ताकि मुझे यह मालूम हो सके की आया यह हक़ है या बातिल? लेकिन उस वक़्त मैं हैरत व मुसरत के मिले जुले जज़्बात में डूब कर रह गई जब मैंने देखा की इस्लाम का अकीदा तो निहायत वाज़े, रौशन और साफ़ सुथरा है, और इसके अन्दर ख़ुदा का जो तसव्वुर है वह भी बेगुबार

है यानी तुम्हारा मअबूद सिर्फ एक मअबूद है।

मुताला के बाद मुझे एक तरह की जेहनी आसूदगी और कल्बी सुकून हासिल हुआ और जो सवालात मेरे हाशिए जेहन पर गर्दिश कर रहे थे कुआन में मुझे हर एक का तसल्ली बख्श जवाब मिल गया। इसके बाद तो मैंने कुआन पाक और दीगर इस्लामी मौजूआत के मुताला को अपना महबूब मशगला बना लिया और इस्लाम को गहराई से समझने के लिए अच्छी तरह मुताला किया, चुनांचे पैगम्बरे इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके मुकद्दस सहाब—ए—किराम रजि० की सीरत और इस्लामी तारीखा का भी मुताला किया। इस्लाम ने सिन्फे नाजुक को जो मुकाम व मर्तबा और हुकूक सदियों से दे रखे हैं उसने मेरी निगाहों को खीरह कर दिया जब कि अमेरीका में औरतों को अपने हुकूक की बाजयाबी और बराबरी के मोतालबे की तारीख चन्द सालों से ज्यादा नहीं।

इसके बाद दूसरा कदम मैंने यह उठाया कि मुस्लिम मदरसों, औरतों और उनके आयली व खानगी जिन्दगी का तज्जिया करना शुरू किया और अमेरीका की और उनकी मआशर्ती व इज्तिमाई जिन्दगी का तकाबुली व मवाज़नह किया और यह भी मेरी खुशकिस्मती है कि हुस्न इत्तिफाक से मेरी मुलाकात बाज दीनदार और शरीफ मुस्लिम घरानों से हुई, इनके तरीक—ए—जिन्दगी, तर्ज मआशरत, खानगी आदाब, बच्चों की निगहदाश्त और इनके साथ शफकत व मुहब्बत का बरताव देख कर मैं बहुत मुतास्सिर हुई। मैंने देखा कि मियां बीवी आपस में एक दूसरे से प्यार व मुहब्बत का मुआमला करते हैं और वे एक दूसरे के तई अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं और उसका बिल मुकाबिल जो भी काम करता है उसे कदरो एहतेराम की नज़र से देखता है और यह वह बात है जो अमेरीका के बेश्तर घरानों में अनका है।

सवाल: आप यह बतायें कि इस्लाम में औरतों के साथ जो अहकाम मखसूस हैं उनमें कौन सा हुक्म आपको सबसे ज्यादा पसन्द आया है?

जवाब: हिजाब, क्योंकि मुझे मुकम्मल यकीन और इतमिनान है कि औरत का अपने जिस्म को ढका रखना इस वजह से नहीं है कि वह मर्दों से कमतर है, बल्कि यह उसके तहफुज और एहतिराम व एकराम का खास हक है। इस तरह इस्लाम मुतल्लका औरतों को खास मुद्दत तक नफकह देता है और मजीद उसे शौहर के घर में रहने की इजाजत भी देता है, अगर अमेरीका में ऐसा होता तो हजारों मुतल्लका औरतें यूँ बेघर दर बदर मारी—मारी न फिरतीं, फिर यह कि इस्लाम ने औरतों की अस्ली जिम्मेदारियों की भी वज़ाहत के साथ तजदीद की है, मसलन यह कि वह अपने घर और बाल—बच्चों की निगहदाश्त करे, क्योंकि बच्चों की तअलीम व तर्बियत के लिए वक़्त देना दर अस्ल

तहज़ीब व तमद्दुन की तअमीर व तरक्की के मुतरादिफ है, बसूरत दीगर बच्चे शुत्र बे महार की तरह बिला किसी तर्बियत के परवरिश पायें, जैसा कि आज कल अमेरीका में आमतौर से देखने को मिलता है।

सवाल: आपके ख्याल में हम अमेरीका के मुआशरे में किस तरह इस्लामी दअवत दे सकते हैं?

जवाब: अमेरीकियों के नज़दीक इस्लाम का तसव्वुर निहायत ही धिनौना और मस्ख़ शुदा है जो बहुत हद तक सियासत से जुड़ा हुआ है, ज़ेहनी तौर से वह इस्लाम को एक जंगजू और लड़ाका मज़हब ही जानते हैं जो हमेशा आमादा क़त्ल व खूरेज़ी और आमादा दहशत व बरबरियत होता है।

चुनांचे वह कभी भी इस्लाम को एक निज़ामे हयात के तौर पर नहीं देखते, इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह यह की हम इन्हें इस्लाम का हर

ज़ाविए से तआरुफ़ करायें और उन्हें यह बतायें कि इस्लाम एक मुकम्मल हमागीर नेज़ामे हयात है और उनके सामने अमली ज़िन्दगी में अच्छा नमूना पेश करें और हम तमाम मुसलमान अपने खानदानों की इमारतें इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर उस्तवार करें।



शैख़ अब्दुल कादिर.....

बीमारी के ज़माने में साहिबज़ादे शैख़ अब्दुल वहाब ने अर्ज किया कि मुझको कुछ वसीयत फरमाइये कि आपके बाद उस पर अमल करूँ— फरमाया हमेशा खुदा से डरते रहो और खुदा के सिवा किसी से न डरो, और उसके सिवा किसी से उम्मीद न रखो अपनी तमाम ज़रूरियात अल्लाह के सुपुर्द कर दो, सिर्फ उसी पर भरोसा रखो और सब कुछ उसी से मांगो, तौहीद इख़्तियार करो कि तौहीद पर सब का इजमा है।



आपके प्रश्नों के उत्तर.....

फातिहा दी जाए वह तबरूक हो जाता है, उसका खाना हर एक के लिए बाबरकत है यह गलत अक़ीदा है। रहा यह कि यह मानना की यह खाना या मिठाई हज़रत शैख़ रह० को नज़र कर दी गई, अब इसे शैख़ रह० की तरफ से अतिया या तबरूक के तौर पर हर एक के लिए खाना जाइज़ है यह अक़ीदा सही नहीं है। शरीअत में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो लोग धूम—धाम से ग्यारहवीं मनाते हैं अगर उसे रोका न जा सके तो कम से कम इतनी इस्लाह की जाए कि देगों के खाने के मालिक से कहा जाए कि वह नीयत करे कि इस खाने को मैं अमीर व गरीब सब को खिलाऊँगा, इसका जो सवाब मिलेगा वह हज़रत शैख़ रह० की रूह को बख्शूंगा। कोशिश करना अपना काम है कुलूब अल्लाह के इख़्तियार में है, अल्लाह तआला उम्मत की इस्लाह फरमाये और उनसे वही करावे जिससे वह राज़ी हो।



जन्नत से करीब और जहन्नम से दूर रखने वाले आमाल

—तसनीम फात्मा

हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ि० से रवायत है कि मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम? मुझे ऐसा अमल बतला दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और दोज़ख से दूर करदे।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया “तुमने एक अजीम चीज़ के बारे में सवाल किया है, लेकिन यह उस आदमी के लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह आसान करदे। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, नमाज़ कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह शरीफ का हज करो”।

इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ख़ैर के दरवाज़े न बतला दूँ? रोज़ा ढाल है और

सदका ख़ता (ग़लती) को इस तरह बुझा देता है जिस तरह पानी आग को। और आदमी की नमाज़ आधी रात को भलाइयाँ समेटने का ज़रिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तहज्जुद गुज़ारों की शान में कुर्आन पाक की यह आयत तिलावत फ़रमाई—तर्जुमा “उन की पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को ख़ौफ़ के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रिज़क़ हमने उन्हें दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आँखों की ठण्डक का सामान उनके आमाल की जज़ा में उनके लिए छुपा रखा गया है उसको कोई नहीं जानता”।

(सूर: अल सज्दा 32:16—17)

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें इस दीन की बुनियाद, सुतून और बुलन्द तरीन चोटी न बतलाऊँ?

इस दीन की बुनियाद अल्लाह तआला की इताअत है, और सुतून नमाज़ है और बुलन्द तरीन चोटी जिहाद है।

फिर फरमाया क्या मैं तुम्हें इन तमाम चीज़ों की कुन्जी न बता दूँ? मैंने अर्ज किया ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी ज़बान की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया, इसे रोक कर रखो।

मैंने अर्ज किया क्या हमसे इन बातों पर मवाख़ज़ा (पकड़) होगा जिन्हें हम ज़बान से निकालते हैं?

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया मआज़! लोगों को जहन्नम में औंधे मुंह और कौन सी चीज़ दाखिल करती है सिवाय ज़बान की काटी हुई फसल के।



याकूब बिन इसहाक 'अल-किन्दी'

—मौलाना सिराजुद्दीन नदवी

आपका पूरा नाम अबू यूसुफ़ याकूब बिन इसहाक अस-सबाह अल-किन्दी है। आपका संबंध यमन के एक इज़्ज़तदार कबीले 'किन्दा' से था। इसीलिए आपको किन्दी कहा जाता है। आपके पिता इसहाक बिन सबाह खलीफ़ा मेंहदी और हारून रशीद के शासनकाल में कूफ़ा के अमीर थे। आपका जन्म सन् 801 ई0 में कूफ़ा में हुआ और मृत्यु सन् 866 ई0 में हुई।

यद्यपि अल किन्दी का संबंध शाही घराने से था, मगर आप भोगविलास के जीवन को शुरु से ही नापसन्द करते थे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा बसरा में हुई और उच्च शिक्षा बग़दाद में प्राप्त की। आपने दर्शन, चिकित्सा, गणित, अंकशास्त्र, तर्कशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया।

खलीफ़ा मामून रशीद के शासनकाल में अल-किन्दी को यूनानी किताबों के अनूदित

लेखों के संशोधन का काम सौंपा गया था। खलीफ़ा मामून रशीद के बाद खलीफ़ा मोतसिम ने भी अल-किन्दी को अपने दरबार में रखा। वह अल-किन्दी की बड़ी इज़्ज़त करता था, इसलिए उसने अपने बेटे अहमद का शिक्षक अल-किन्दी को नियुक्त किया।

अल-किन्दी को पहला मुस्लिम दार्शनिक कहा जाता है। उन्होंने दर्शनशास्त्र को एक नई दिशा दी। उनके दार्शनिक दृष्टिकोण में अरस्तू का प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है। उन्होंने दर्शनशास्त्र पर बहुत सी किताबें भी लिखीं और पहले से मौजूद दार्शनिक किताबों का अनुवाद भी किया। अल-किन्दी के दार्शनिक दृष्टिकोणों और विचारों पर आधारित कई किताबें थीं, जिनमें से केवल 15 ही किताबें सुरक्षित रह सकीं। दर्शनशास्त्र पर उनकी किताब "Philosophy Book of First"

जिसमें कई अध्याय थे इसके केवल चार अध्याय शेष रहे, जिसमें दर्शन के प्रति रक्षा पर, अनुभूतियों और न्यायशास्त्र व विज्ञान की पुस्तकों के मध्य मतभेदों पर, दासता और शरीर पर सफल वार्ताएं की गई हैं।

अल-किन्दी खगोलशास्त्र और ज्योतिष विद्या के विशेषज्ञ थे। उन्होंने प्रायः इसका प्रमाण दिया है। अल-किन्दी को संगीत से सम्बन्धित एक घटना जो अल-किन्दी के साथ घटी उसको प्रमाण के रूप में यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

बग़दाद के एक अमीर व्यापारी का बेटा बहुत बीमार पड़ा। दूर-दूर से वैद्य व हकीम बुलाये गये, मगर कोई लाभ न हुआ। आखिर में अल-किन्दी को बुलाया गया। मरीज़ को देखने के बाद अल-किन्दी ने कहा कि ऊउ बजाने वालों को बुलाया जाए। ऊउ बजाने वाले (एक तरह का वाद्य यंत्र, बरबत)

आ गये तो अल-किन्दी ने उन्हें कुछ हिदायत की और वे लोग ऊद (बरबत) बजाने लगे। वाद्य यंत्र के स्वर से मरीज़ के शरीर में कुछ हरकत हुई। वह कुछ वक्त के लिए आँख खोलकर उठ बैठा, फिर उसी मर्ज़ में मुब्तिला होकर वह मर गया।

अल-किन्दी ने संगीत पर चार किताबें लिखीं। ये चारों किताबें अरबी भाषा में संगीतशास्त्र में सबसे पहली लिखी गई हैं। उन्होंने सुरों के निर्धारण के लिए वर्णमाला का उपयोग किया। उनके ढंग च कार्य विधि की नक़ल यूरोप में बहुत बाद में की गई। अल-किन्दी एक कुशल चिकित्सक भी थे। इब्राहीम इमादी नदवी ने आपके तिब्बी कारनामों पर इन लफ़्ज़ों में रौशनी डाली है।

“वे एक अद्भुत चिकित्सक थे, साहित्यशास्त्र के विषय पर उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। नई-नई जड़ी-बूटियों को तलाश करके उस पर शोधात्मक कार्य किये। उनके गुणों और प्रभावों को

ठीक-ठीक मालूम किये और फिर उनको एक श्रृंखलाबद्ध क्रम में रखा। फिर मरीज़ों के लिए दवाओं की सेवन मात्रा कितनी हो, इसको निश्चित करना याकूब बिन अल-किन्दी के कारनामों में यह एक ज़बरदस्त कारनामा है।”

चिकित्सा क्षेत्र में अल-किन्दी ने बहुत से नये गंवेशणात्मक कार्य किये। उन्होंने प्राचीन वैज्ञानिकों के अधूरे कामों को पूरा किया। अल-किन्दी से पहले दवाओं को मुफ़द (Simple, एकल) ही इस्तेमाल कराया जाता था, लेकिन अल-किन्दी ने मिश्रित दवाओं की तैयारी, उसके प्रभावों, उसके वज़न आदि पर भरपूर खोज की। अल-किन्दी वे पहले चिकित्सक हैं, जिन्होंने शरीर के अंगों और प्रभावों के मध्य गणितीय सम्बन्ध स्थापित किये।

उन्होंने बताया कि शरीर के अंगों का ज्वर का ठंड से 1:2 का अनुपात पहले दर्जे की हसरत पैदा करता है, 1:4 का अनुपात दूसरे दर्जे

की 1:8 की तीसरे दर्जे की और 1:16 चौथे दर्जे की हसरत पैदा करता है।

अल-किन्दी ने चिकित्सा खोज को गणित से संलग्न कर दिया था। इसीलिए जो चिकित्सक गणित से अनभिज्ञ थे, अल-किन्दी के दृष्टिकोण से कोई लाभ न उठा सके। लेकिन वैज्ञानिकों ने अल-किन्दी के चिकित्सीय विचारों से भरपूर फ़ायदा उठाया। अपने ज़माने का प्रसिद्ध चिकित्सक ज़हरावी भी अल-किन्दी की रचनाओं से लाभान्वित हुए हैं।



अस्थाबे रसूल.....

जनाब मौलाना गुलाम रसूल महर ने अपनी किताब “खिलाफते राशिदा” में और बाज़ दूसरे उलमा ने लिखा है कि हज़रत हसन रज़ि0 जिनकी खिलाफत हज़रत अली रज़ि0 के बाद सिर्फ 6 माह रही वह भी खुलफा-ए-राशिदीन हैं इसलिए कि उनके 6 माह पर ही तीस साल पूरे होते हैं।



इस्लाम: कमजोरों के अधिकारों का रक्षक

—मुहम्मद रजीउल इस्लाम नदवी

प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर का दिन 'मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। आज से लगभग 56 साल पहले 1948 में 10 दिसम्बर को ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इस मशहूर प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जो 'मानवाधिकार की सार्वभौमिक उद्घोषणा' (Universal Declaration of Human Rights) के नाम से जानी जाती है। इस उद्घोषणा में धाराओं की शबल में मानवाधिकार की व्याख्या की गई है और सदस्य देशों से कहा गया है कि वे इन अधिकारों की प्राप्ति को यकीनी बनाने की कोशिश करें और ऐसे कानून बनाएं जो इनकी रक्षा की ज़मानत देते हों और इनके उल्लंघन की स्थिति में इन कानूनों का सहारा लिया जा सकता हो।

मानवाधिकार संबंधी यह घोषणा पत्र उन कोशिशों, और खींचतान का नतीजा है। ये ब्रिटेन के औपनिवेशिक क्षेत्रों के रहने वाले उनसे

वंचित थे। अमेरिका में कालों को गोरे नागरिकों के समान अधिकार हासिल नहीं हैं। अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान के जिन मासूम लोगों को आतंकवाद का आरोप लगाकर ग्वांतानामो में बे में कैद कर रखा है उन्हें वे अधिकार नहीं दिये गये हैं जो अमेरिकी जेलों में कैद अपराधियों को हासिल है। टी0वी0 पर कुछ अमेरिकी सैनिक कैदियों की तस्वीरें पश्चिमी ऐवानों में ज़लज़ला पैदा कर देती हैं लेकिन हज़ारों इराक़ी कैदियों की टेलीविज़न पर बार-बार नुमाइश, उनके बुनियादी अधिकारों के हनन और उन पर दिल दहला देने वाले अत्याचारों से किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती।

मानवाधिकार के सिलसिले में इस्लाम को अनेक पहलुओं से वरीयता हासिल है। जो अधिकार आज लोगों को लंबे संघर्ष और जिद्दोजहद के बाद हासिल हुए हैं, इस्लाम आज से 1400 साल पहले ही ऐलान

कर चुका था और रियासत को इसकी अदायगी का पाबन्द बना दिया था।

“इमाम जो लोगों पर हुक्मरानी कर रहा है वह उनका निगरा है और उससे उनके बारे में पूछा जाएगा”।
(सहीह बुख़ारी)

इस्लाम के द्वारा दिये गये अधिकार न कभी रद्द हो सकते हैं, न उन्हें किसी हाल में टाला जा सकता है। यहां तक कि दुश्मनों और जंगी कैदियों को भी उनसे वंचित नहीं किया जा सकता।

“कोई नहीं जो अल्लाह की बातों को बदल सके।”
(क़ुर्आन 6:34)

इस्लाम के नज़दीक समस्त मानव जाति उनसे लाभान्वित होगी चाहे उसका ताल्लुक किसी भी नस्ल से हो, कोई भी ज़बान बोलता हो और किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो।

“न अरबी को अजमी पर वरीयता है, न अजमी को सच्चा राही फरवरी 2013

अरबी पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, सिवाय तक्वा के।" (मुस्नद अहमद)

कमजोर वर्ग ही मानवा-धिकार से वंचित रहते हैं, चाहे वह कमजोर समुदाय हो या कमजोर लोग। शक्तिशालियों ने अपनी शक्ति के नशा में हमेशा उन्हें दबाया और कुचला है। 'इकबाल ने सही कहा है:

है जुर्म जईफी की सज़ा मर्गे मफ़जात

इस्लाम कमजोरों के अधिकारों का रक्षक बनकर सामने आता है। वह विस्तारपूर्वक उनके अधिकारों को बयान करता और उन्हें अदा करने की ताकीद करता है। वह कहता है कि अधिकार अल्लाह तआला ने दिये हैं इसलिए यदि किसी ने उनकी अदायगी में कोताही की या उन्हें पामाल किया तो अल्लाह तआला उस पर उसकी सख्त पकड़ करेगा।

समाज का सबसे कमजोर वर्ग औरतों का है। वह हर दौर में अपने बहुत से अधिकारों से वंचित रही हैं और आज भी तमामतर तरकियों और

रौशनखयालियों के बावजूद शोषण का शिकार हैं। पहले उन्हें पुरुषों का पूरक समझा जाता था और आज भी उन्हें Better Half कहा जाता है। पहले उन्हें मीरास से वंचित रखा गया था और आज भी उनका यह अधिकार स्वीकार नहीं किया गया है।

पहले लड़की के जन्म को अशुभ समझा जाता था और उसके आने की सूचना से पूरा परिवार दुख में डूब जाता था। आज भी आधुनिक टेक्नॉलोजी के माध्यम से उनके जन्म को रोकने की कोशिश की जाती है। इस्लाम ने औरत को एक अलग शख्सियत दी। उसे पुरुषों के समान हैसियत दी। उसने मर्दों के साथ औरतों का हिस्सा भी सुनिश्चित किया।

"पुरुषों का उस माल में एक हिस्सा है जो मां-बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो और स्त्रियों का भी उस माल में एक हिस्सा है जो माल मां-बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो चाहे वह थोड़ा हो या अधिक हो, यह हिस्सा निर्धारित किया हुआ है।" (क़ुर्आन 4:7)

"विधवा व तलाक़शुदा औरत का निकाह नहीं किया जाएगा तब तक कि उसकी राय मालूम न कर ली जाए और कुंवारी लड़कियों का निकाह नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे इजाज़त न ले ली जाए।"

(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम)

इस्लाम ने मेहर को औरत का हक़ करार दिया और मर्द पर उसकी अदायगी को अनिवार्य कर दिया।

"और औरतों के मेहर खुशदिली के साथ (फ़र्ज़ जानते हुए) अदा करो।"

(क़ुर्आन 4:4)

इस्लाम ने औरतों के साथ अच्छा वर्ताव करने का हुक्म दिया "उनके साथ भले तरीक़े से ज़िन्दगी बसर करो।" (क़ुर्आन 4:19)

उसने औरतों के साथ अच्छे सलूक को मर्द की अज़मत और बेहतरी की पहचान करार दिया।

"तुम में से बेहतर लोग वह हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छे अख़्लाक़ से पेश आएँ।" (तिर्मिज़ी)

उसने लड़कियों के जन्म को मुबारक कहा और उनकी परवरिश पर जन्नत की शुभ सूचना दी।

“जिस व्यक्ति ने दो लड़कियों की परवरिश की यहां तक कि वे बालिग हो गयीं, कियामत के दिन मैं और वह इस तरह होंगे (यह कह कर आप सल्ल० ने अपनी उंगुलियों को मिला लिया)।

दूसरा कमजोर वर्ग यतीमों का है। जिस बच्चे के सिर से बाप का साया उठ गया हो और जिस औरत का पति मर गया हो, दोनों को गिरी-हुई नजरों से देखा जाता है। कोई उनका पूछने वाला भी नहीं होता। दोनों की जिन्दगियां बड़ी दयनीय होती हैं। विधवाओं को मनहूस समझा जाता है। उसकी जिन्दगी मौत से भी बदतर होता है।

इस्लाम में यतीमों और विधवाओं के साथ अच्छा सलूक करने, उनकी देखभाल करने और उनके हक अदा करने की ताकीद की है और इस मामले में कोताही करने और उनके हक मारने वालों को अपराधी करार दिया है।

कुर्आन यतीमों का माल हड़प करने से मना करता है। (अल निसा: 2, अल अनआम: 152, बनी इस्राईल: 34) और ऐसा करने वालों को नरक में भेजने की बात करता है।

“जो लोग अनाथों के माल अन्याय के साथ खाते हैं वास्तव में वे अपने पेट आग से भरते हैं और वे अवश्य भड़कती हुई आग में पड़ेंगे।”

(कुर्आन 4:10)

उन्हें तुच्छ समझने, धुतकारने और झिड़कने से रोकता है। (अल-फज्र: 17, अल-जुहा: 9, अल-माऊन: 2) अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार करने, उन्हें खाना खिलाने और उन पर खर्च करने का आदेश देता है। (अल-बकरा: 83, 177, 215, अल-निसा: 8, 36, अल-दहर: 8, अज-बलद: 15)

अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फरमाया “विधवाओं और मिसकीनों के लिए दौड़-धूप करने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अल्लाह की राह में जिहाद करे और उस व्यक्ति की तरह है जो लगातार नमाजें पढ़े और लगातार रोजे रखे।” (सहीह बुखारी, सही मुस्लिम)

“मैं और अनाथों की ज़िम्मेदारी उठाने वाला जन्नत में इस तरह होगा। (यह कहते हुए आप सल्ल० ने अपनी शहादत और बिचली उंगलियों से इशारा फरमाया)।

(सहीह बुखारी)

एक अवसर पर आप सल्ल० ने फरमाया “ऐ अल्लाह! जो व्यक्ति इन दो कमजोरों अनाथ और महिला का हक जाया करे, मैं उसे खताकार और अपराधी ठहराता हूँ।”

(इब्न माजा, अहमद, नसई)

अरब के समाज में गुलाम मानवीय अधिकारों से वंचित थे। उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। वे बेजुबान जीव की भांति जीवन व्यतीत करते थे। समाज में उनका कोई स्थान न था। वही हाल आज हमारे देश में बंधुआ मजदूरों का है। इस्लाम ने गुलामों को मानवीय आधार पर भाई करार दिया है और मालिकों को आदेश दिया है कि उनका पूरा खयाल रखें और उनकी ताकत से बढ़कर काम न लें। अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फरमाया है “तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह

ने उन्हें तुम्हारे अधीन कर दिया है। अतः जिसका भाई उसके अधीन हो, वह उसे भी वही खिलाये जो खुद खाये और वही पहनाये जो खुद पहने। तुम उनसे ऐसे काम न लो जो उनकी ताकत से बाहर हों। यदि उनसे ऐसे काम लो तो उनकी मदद करो।”

(सहीह बुखारी, सही मुस्लिम)

मजदूरी करने वाले लोग समाज के कमजोर लोगों में से समझे जाते हैं। दो वक्त की रोटी हासिल करने और अपने बाल-बच्चों का पेट पालने के लिए जिद्दोजेहद करते हैं। बोझ ढोते हैं और परिश्रम करते हैं। एक दिन की मजदूरी न मिले तो उनके घर फाका हो जाए। आम तौर पर धनी और मालदार लोगों को उनके इस दर्द का एहसास नहीं होता। वे उनसे बेगार लेते हैं, पूरी मजदूरी नहीं देते या उसे देने में टाल-मटोल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्ल० ने इस सिलसिले में सख्त चेतावनी देते हुए कहा है “तीन आदमी ऐसे हैं जिनका मैं कियामत

के दिन दुश्मन और मद्दुम्बाबिल होऊँगा। एक वह व्यक्ति जिसने किसी को मजदूर रखा, उससे पूरा काम लिया लेकिन उसकी मजदूरी नहीं दी।” (सहीह बुखारी)

एक दूसरी हदीस में है “मजदूरों को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो।”

समाज के कमजोर वर्गों में अल्पसंख्यकों को संवैधानिक दृष्टि से भले ही समान अधिकार प्राप्त हो लेकिन व्यवहार में वे अक्सर बहुसंख्यक समुदाय के जुल्मो-सितम के शिकार रहते हैं। आये दिन उनकी जान, माल, इज्जत व आबरू पर हमले होते हैं और वे अपनी रक्षा का सामर्थ्य नहीं रखते। यदि बहुसंख्यक समुदाय को सरकार व प्रशासन का भी सहयोग मिल जाए तो न्यायपालिका भी अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती।

इस्लाम अपनी रियासत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों का रक्षक बनकर खड़ा होता है। वह मुसलमानों को चेतावनी देता है कि दूसरे

धर्मों के मानने वालों के साथ अदलो-इन्साफ से पेश आएँ। उन पर अत्याचार न करें। उनकी इज्जत-आबरू से न खेलें और उनका माल न छीनें, अन्यथा कियामत के दिन वे सख्त सजा से दोचार होंगे। अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फरमाया “खबरदार! जिसने जिम्मी पर (ऐसा गैर-मुस्लिम जो इस्लामी रियासत में रह रहा हो) जुल्म किया, उसकी तौहीन की, उसके सामर्थ्य से अधिक उससे काम लिया या बिना किसी मर्जी के उसकी कोई चीज़ ले ली तो मैं कियामत के दिन उस मजलूम की तरफ से उसका मुकदमा पेश करूँगा।”

(सुनन अबू दाऊद)

इस्लाम ऐसा वातावरण बनाना चाहता है कि यदि समाज में कोई व्यक्ति किसी पर जुल्म कर रहा हो तो दूसरे लोग उठ खड़े हों। वे जालिम का हाथ पकड़ लें और उसे जुल्म करने से रोक दें। एक हदीस कुदसी में है “ऐ मेरे बन्दो! मैंने अपने ऊपर जुल्म को हARAM कर लिया है और तुम्हारे बीच भी उसे

हराम कर दिया है। इसलिए आपस में एक-दूसरे पर जुल्म न करो।” (सहीह मुस्लिम)

एक अवसर पर अल्लाह के रसूल सल्ल० ने सहाबियों को इस मामले में गफलत न बरतने की ताकीद करते हुए उनसे कहा “लोग यदि किसी को जुल्म करता हुआ देखें, लेकिन उसका हाथ न पकड़ें तो आशंका है कि अल्लाह सभी को सजा देगा।”

एक हदीस में है कि आप सल्ल० ने सहाबियों को संबोधित करते हुए कहा “अपने भाई की मदद करो चाहे वह जालिम हो या मजलूम”। सहाबियों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने आप सल्ल० से पूछा “ऐ अल्लाह

के रसूल सल्ल०! मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है। जालिम की मदद करने का क्या मतलब? फरमाया उसका हाथ पकड़ लो, यही उसकी मदद है।” (सहीह बुखारी)

इससे अच्छी तरह यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि कोई समाज मानवाधिकार के सिलसिले में इतना जागृत हो जाए कि वह जालिमों को जुल्म न करने दे और मजलूमों की रक्षा के लिए उठ खड़ा हो तो वह कितना बेहतरीन और उच्च नैतिक मूल्यों वाला समाज बन जाएगा।

कमजोर वर्गों के जिन अधिकारों का उल्लेख यहां किया गया है उनकी हैसियत

केवल अच्छे और बेहतरीन उसूलों और नज़रियों की नहीं है। बल्कि उन पर सदियों तक अमल होता रहा है और ये वर्ग उन उसूलों से लाभान्वित होते रहे हैं। कभी उनके अधिकारों का हनन हुआ तो उनकी रक्षा करने और उनमें जागृति लाने की कोशिशें भी की जाती रहीं।

आवश्यकता इस बात की है कि इस्लामी शिक्षाओं को आम किया जाए और तमाम इन्सानों को बता दिया जाए कि इस्लाम बुनियादी मानवीय अधिकारों का रक्षक और झंडा वाहक है और विशेष रूप से कमजोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा में उसे वरीयता हासिल है। □□

(“कान्ति” पत्रिका से ग्रहीत)

The Fragrance of East

नदवतुल-उलमा से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी मासिक पत्रिका जो आपके कुटुम्ब और मित्रों के मध्य इस्लाम की सही जानकारी पहुँचाता है।

वार्षिक शुल्क केवल ₹120/- जो बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा निम्न के पक्ष में लखनऊ में अदा होसके भेजें “The Fragrance of East” लखनऊ से बाहर के चेक में ₹30 (बैंक चार्ज) जोड़ दें। और निम्नलिखित पते पर भेजें।

“The Fragrance of East”

Majlise Sahafat-wa-Nashriyat, Nadwatul Ulema,

Tagore Marg, Lucknow-226007

बड़ा दिन

25 दिसम्बर का दिन, बड़ा दिन कहलाता है मसीही भाइयों का मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम —लाम का जन्म 25 दिसम्बर को हुआ था अतः वह इस दिन खुशियाँ मनाते हैं और समारोहों का आयोजन करते हैं और इस दिन को बड़ा दिन कहते हैं। पवित्र कुर्आन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कथन यूँ आया है, अनुवाद: “सलामती रही मुझ पर जिस दिन मेरा जन्म हुआ और सलामती हो मुझ पर उस दिन जिस दिन मेरी मौत हो और उस दिन जिस दिन मैं जीवित उठाया जाऊँ”। (सूर: मरयम: 32) सलामती का अनुवाद कठिन है सलाम या सलामती का अर्थ हर प्रकार की सुरक्षा से लिया जा सकता है।

कुर्आन और हदीस से यह ज्ञात होता है कि जब

यहूदियों के षडयंत्र से ईसा अलैहिस्सलाम को फाँसी पर चढ़ाने का आदेश हुआ तो उनको अल्लाह ने जीवित आकाश पर उठा लिया और उनके समरूप दूसरे व्यक्ति को सलीब पर चढ़ाया गया परन्तु वह चौथे आकाश पर अपने शरीर के साथ जीवित हैं, कियामत के निकट जब “दज्जाल” निकलेगा तो उसका वध करने हेतु फिर इस संसार में उतारे जाएंगे, तत्पश्चात वह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत पर चलते हुए एक समय तक जीवित रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होंगे। हम मुसलमान जब भी उनका नाम लेते हैं तो साथ में अलैहिस्सलाम कहना आवश्यक जानते हैं। और उनको अल्लाह का रसूल (सन्देश) मानते हैं। कुछ लोग भ्रम से समझते हैं कि

25 दिसम्बर से दिन बढ़ना आरम्भ होता है इस कारण 25 दिसम्बर को बड़ा दिन कहा जाता है। हम प्रोफेसर जैनबी रह0 की जंत्री देखते हैं तो उसमें वर्ष का सबसे छोटा दिन 10 घण्टे 34 मिनट का पाते हैं फिर यह छोटा दिन केवल एक दिन नहीं रहता अपितु निरंतर 17 दिन तक 17 दिसम्बर से 2 जनवरी तक प्रति दिन 10 घण्टे 34 मिनट का रहता है और 3 जनवरी से दिन बढ़ना आरंभ होता है उस दिन 10 घण्टे 35 मिनट का दिन होता है। तथा वर्ष का सबसे बड़ा दिन 13 घण्टे 57 मिनट का 22 जून को होता है। देखिए जैनबी महोदय की दाइमी जंत्री। जिसे खुशींद बुक डिपो अमीनाबाद, लखनऊ अपनी फारान जंत्री में हर वर्ष प्रकाशित करता है। □□

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

फाँसी सही मगर क्यों बरती गई गोपनीयता—

कसाब की ओर से सत्र अदालत एवं हाईकोर्ट में पेश हुए वकीलों ने फाँसी दिए जाने के मामले में गोपनीयता बरते जाने पर सवाल उठाए हैं। बचाव वकीलों ने कसाब की फाँसी को सही ठहराया और कहा कि बिना बारी के उसके मामले को लेकर सरकार ने 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को थोड़ी शांति प्रदान की है।

वकील अमीन सोल्कर, फरहाना शाह और अब्बास काजमी ने फाँसी को लेकर बरती गई गोपनीयता पर सवाल उठाए हैं। सोल्कर ने कहा, यह अच्छी बात है कि सरकार ने इस मामले में तत्परता दिखाई क्योंकि समाज और पीड़ितों के हित में ऐसा करना जरूरी है लेकिन गोपनीयता क्यों बरती गई। सोल्कर के मत का समर्थन करते हुए फरहाना ने कहा, मुझे सदमा लगा, यह सब अचानक हुआ। इतनी गोपनीयता के साथ

फाँसी क्यों दी गई।

सत्र अदालत की ओर से पेश हुए काजमी ने कहा कि हो सकता है कि सरकार ने कसाब की दया याचिका को बिना बारी के लिया हो, क्योंकि यह एक असाधारण मामला है। सोल्कर ने हालांकि कहा कि यह अच्छी बात है कि सरकार ने तेजी से काम किया। उन्होंने कहा, इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी होंगे। आम आदमी इस फाँसी का इंतजार कर रहा था। पीड़ितों को भी इससे कुछ राहत मिलेगी।

मिस्र में इस्लामी मूल्यों वाला संविधान का मसौदा मंजूर—

मिस्र में पिछले कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच मिस्र की संविधान सभा ने संविधान के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसमें इस्लामी मूल्यों को तरजीह दी गई है। हालांकि, उदारवादी सदस्य इसके खिलाफ हैं और वे इसे देश में बोलने और धर्म की आजादी पर पाबंदी की कोशिश के तौर पर देख रहे

—डॉ० मुईद अशरफ नदवी हैं। संविधान सभा ने इस मसौदे को राष्ट्रपति मुहम्मद मुरसी के पास भेज दिया है जो जनमत संग्रह के जरिए इस पर लोक सहमति हासिल करेंगे।

मिस्र के सरकारी टेलीविजन के अनुसार संविधान के जिस मसौदे को मंजूर किया गया है उसमें इस्लाम को देश का धर्म बताया गया है और शरिया अथवा इस्लामी कानून को कानून का मुख्य स्रोत बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मिस्र के ईसाइयों और यहूदियों के लिए कानून के मुख्य स्रोत के तौर पर ईसाइयों और यहूदियों के धर्मग्रंथों का सहारा लिया जाएगा। सभा ने एक नए आलेख को मंजूरी दी, जिसके अनुसार शरिया से जुड़े मामलों में अल अजहर मस्जिद और विश्वविद्यालय, सुन्नी मुस्लिम धर्माधिकारियों से परामर्श लेना जरूरी होगा। मसौदे के अनुसार राष्ट्रपति का दो बार का कार्यकाल चार-चार वर्ष का होगा। □□

सच्चा राही फरवरी 2013